श्रम संगम

वर्ष: 2, अंक: 2

जुलाई-दिसम्बर 2016

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रम कानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाएं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.org पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली / नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः publications.vvgnli@gov.in

मुख्य संरक्षक
श्री मनीष कुमार गुप्ता
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. पूनम एस. चौहान
वरिष्ठ फेलो

डॉ. संजय उपाध्याय
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रणः चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्षः 2, अंकः 2, जुलाई-दिसम्बर 2016

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से...	2
❍	बालकों और युवाओं के लिए नीति श्लोक – डॉ. संजय उपाध्याय	3
❍	सिफत न बदली (कविता) – बीरेन्द्र सिंह रावत	7
❍	मैं बंधुआ मजदूर हूँ – डॉ. पूनम एस. चौहान	8
❍	'काला धन' मुक्त भारत – राजेश कुमार कर्ण	10
❍	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी टिप्पण –आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन	14
❍	रघुवीर सहायः प्रसिद्ध साहित्यकार	15
❍	माँ की दुआ (कविता) – सुकृति जैन	18
❍	लेखनी (कविता) – प्रकाश मिश्रा	18
❍	स्मृति (कविता) – कुसुम उपाध्याय	19
❍	बेटी हूँ मैं (कविता) – मोनिका गुप्ता	19
❍	वसंत (कविता) – डॉ॰ पूनम एस. चौहान	19
❍	अब जाये 'तीन तलाक' – राजेश कुमार कर्ण	20
❍	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2016 का आयोजन	24
❍	मेरे पापा (कविता) – डॉ॰ पूनम एस. चौहान	24
❍	कुत्ते की पूँछ (कहानी) – यशपाल	27
❍	ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन – बीरेन्द्र सिंह रावत	31
❍	ओ मेरी प्यारी बहन (कविता) – डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम	35
❍	संस्थान का 42वाँ स्थापना दिवस समारोह	36
❍	ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत – राजेश कुमार कर्ण	37
❍	बंटवारे का दर्द (कविता) – सतीश कुमार	39
❍	क्यों ? (कविता) – ज्योति गुप्ता	39
❍	साईं आराधना – सतीश कुमार	40
❍	भाग्य और समय (लघु कथा)	40

महानिदेशक की कलम से...

हिंदी भाषा के सरल, सहज एवं सुबोध होने तथा देश में अधिकांश लोगों द्वारा इसे आसानी से समझ लिए जाने के कारण देश के संविधान–निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया तथा संविधान के अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अतः, यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम व्यावहारिक विकल्पों के माध्यम से इसके प्रचार–प्रसार में सतत प्रयत्नशील रहें। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में सभी संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी राजभाषा नीति का अनुपालन करके अपने इस संवैधानिक दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा संबंधी नियमों/अधिनियमों का अनुपालन इस संस्थान में बखूबी किया जा रहा है। इसी क्रम में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्त्वावधान में 23 दिसम्बर 2016 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 24 सदस्य कार्यालयों के 57 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

^Je lxe^ पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है।

पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

¼euh"k dqekj xIrk½

बालकों और युवाओं के लिए नीति श्लोक

डॉ. संजय उपाध्याय*

lLdr lkfgR; fo'o d çkphure ,o lokf/kd le') lkfgR;k e l ,d gA ble u doy ekuo }kjk thou&Ik;r viuk, tku oky lLdkjk ,o vkpj.k l lcf/kr lkodkfyd ,o lkoHkkfed eY;k dk lnj mYy[k g vfir ekuo dk mldh ftnxh dh fofHkUu voLFkkvk e cjkb;k d çfr lpr dju okyk lkfgR; Hkh çpj ek=k e miyC/k gA cMh rth l vkRedfnr gkr tk jg lekt e thou&vkn'kk dk lpkj dju gr bl if=dk d foxr vdk e ckydk vkj ;okvk d fy, fgnh HkkokFk lfgr dN uhfr 'ykd 'kfey fd, x, FkA blh Øe e çLrr g dN vkj mi;kxh ,o Kkuo/kd 'ykd%

1. गते शोको न कर्तव्यो भविष्यन्मैव चिन्तयेत्।
वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः।।

HkkokFk% जो बीत/चला गया उसके बारे में ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए, और भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान की ही चिंता करते हैं।

2. अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते।
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः।।

HkkokFk% बिना बुलाए किसी के यहाँ जाने वाला, बिना पूछे बहुत अधिक बोलने वाला, अविश्वासी का विश्वास करने वाला ये मूर्खों के लक्षण हैं।

3. सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्।
एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः।।

HkkokFk% वह सब जो हमारे वश और नियंत्रण में नहीं है उस में सभी प्रकार से दुख है इसके ठीक विपरीत वह सब जो हमारे वश और नियंत्रण में है उस में सभी प्रकार से सुख है। संक्षेप में इन्हीं लक्षणों से सुख और दुख का आकलन करना चाहिए तथा इसी प्रकार की सोच लेकर जीवन रूपी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए।

4. गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो
बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः।
पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः
करी च सिंहस्य बलं न मूषकः।।

HkkokFk% एक गुणवान व्यक्ति ही किसी अन्य गुणवान व्यक्ति के गुणों को जान सकता और उनकी प्रशंसा (मान्यता प्रदान) कर सकता है। एक शक्तिवान व्यक्ति ही किसी अन्य शक्तिवान व्यक्ति की शक्ति को जान सकता है ठीक वैसे ही जैसे कि कोयल ही वसंत ऋतु के आगमन पर उसका अहसास कर सकती है न कि कौवा और जैसे कि हाथी ही सिंह/शेर के बल को जानता है न कि चूहा।

5. योजनानां सहस्रं तु शनैर्गच्छेत् पिपीलिका।
अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति।।

HkkokFk% लगातार चलते रहने की अभ्यस्त होने के कारण ही चींटी जैसा छोटा जीव भी सैंकडों मीलों की दूरी तय कर सकता है जब कि एक बगुला यह ठान लेने पर कि उसे एक भी कदम चलना नहीं है, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात् किसी कार्य को करने की क्षमता होना ही आवश्यक नहीं है बल्कि इससे अधिक आवश्यक है किसी कार्य को करने की बलवती इच्छा होना, भले ही क्षमता कम हो।

6. गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्।
स्थितिरूच्चैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थितिः।।

HkkokFk% धन के दान से गौरव और यश प्राप्त होता है न कि उसके संचय से तथा ऐसा करने से ही व्यक्ति उच्च स्थान प्राप्त करता है ठीक वैसे ही जैसे कि बादल जो कि जल की वर्षा करते हैं उनकी स्थिति ऊँची होती है जब कि जल का संचय करने वाले सागर की स्थिति नीची।

* *फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

7. किम् कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः।
अकुलीनोऽपि विद्यावान् देवैरपि सुपूज्यते।।

HkkokFk% उच्च कुल /संभ्रांत कुल में जन्म लेने पर भी विद्याहीन होने पर व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता जब कि अत्यंन्त साधारण कुल वाला होने पर भी विद्यावान व्यक्ति देवताओं से भी अधिक सम्मान प्राप्त करता है।

8. शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतम्।
शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोकसमो रिपुः।।

HkkokFk% शोक धैर्य को नष्ट कर देता है, शोक स्मृति को नष्ट करता है, शोक सभी प्रकार से अहितकारी और नाशकारक है और शोक से बड़ा कोई शत्रु नहीं।

9. पण्डिते च गुणाः सर्वे मूर्खे दोषा हि केवलम्।
तस्मान्मूर्खसहस्रेषु प्राज्ञ एको विशिष्यते।।

HkkokFk% विद्वान गुणों से परिपूर्ण होता है तथा मूर्ख केवल दोषों से। इसी कारण से हजारों मूर्खों की तुलना में एक विद्वान अधिक महत्व रखता है।

10. नास्ति कामसमो व्याधिर्नास्ति मोहसमो रिपुः।
नास्ति कोपसमो वह्निर्नास्ति ज्ञानात्परं सुखम्।।

HkkokFk% काम, (व्यभिचार) के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं।

11. मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्
वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसदृशः।।

HkkokFk% सांसारिक कार्यों में मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, अर्थात् मेरे संबंध मधुर हों, मेरी निवृत्ति (अर्थात् मेरे संबंध विच्छेद) भी मधुमय हो। मैं मधुरतापूर्ण वाणी बोलूँ और सर्वत्र मधुर देखने वाला बनूँ।

12. ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत।
उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां सन्ध्यां कृतांजलिः।।

HkkokFk% ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म (कर्तव्य) एवं अर्थ (धनोपार्जन) का चिंतन करना चाहिए। उठकर आचमन करके और हाथ जोड़ कर पूर्व (प्रातःकालीन) संध्या हेतु बैठना चाहिए।

13. आशायाः ये दासाः ते दासाः सर्वलोकस्य।
आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः।।

HkkokFk% बहुतों से आशा (उम्मीद) रखने वाले लोग, जिनसे आशा और उम्मीद रखते हैं उन सभी के दास समान हैं और इसके ठीक विपरीत वे लोग जो किसी से भी किसी प्रकार की आशा और उम्मीद नहीं रखते, पूरा संसार ही उनके दास के समान है और ऐसे लोग पूरे लोक के मालिक समान हैं।

14. ऋषयो राक्षसीमाहुः वाचमुन्मत्तदृप्तयोः।
सा योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य निर्ऋतिः।।

HkkokFk% ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी कहा है जो सभी प्रकार के बैरों को जन्म देने वाली एवं संसार में अनेक विपत्तियों का कारण होती है।

15. यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे
यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्।
ग्वामष्वानां वयसष्च विष्ठा
भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु।।

HkkokFk% जिस राष्ट्र का हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया है और दुष्टों से रक्षा की है, उसके निर्माण के लिए हम अपना त्याग और बलिदान करने को तैयार रहें।

16. यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्।
एवं परुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति।।

HkkokFk% जैसे मात्र एक पहिये से रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता।

17. बलवानप्यशक्तोऽसौ धनवानपि निर्धनः।
श्रुतवानपि मूर्खोऽसौ यो धर्मविमुखो जनः।।

HkkokFk% जो व्यक्ति धर्म (कर्तव्य) से विमुख होता है वह (व्यक्ति) वास्तव में बलवान हो कर भी असमर्थ, धनवान होकर भी निर्धन तथा ज्ञानी होकर भी मूर्ख की श्रेणी में आता है।

18. विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्।
न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वीं प्रसववेदनाम।।

HkkokFk% जिस प्रकार कोई बांझ (वन्ध्या) स्त्री प्रसव से जुड़ी पीड़ा और कष्टों से गुजरे बिना प्रसव संबंधी पीड़ा और कष्टों का अनुमान नहीं लगा सकती ठीक वैसे ही केवल एक विद्वान व्यक्ति ही ज्ञान विज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं और

कठोर श्रम का अनुमान लगा सकता है न कि कोई सामान्य या औसत दर्जे का व्यक्ति।

19. परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्।
वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्।।

HkkokFk% पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने होने पर प्रिय बोलने वाले व्यक्ति को कभी भी मित्र न मानते हुए विष से भरे हुए और मुख पर दूध वाले घड़े के समान त्याग देना चाहिए।

20. आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्
प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखनन प्रत्युद्यमः कीदृशः।

HkkokFk% जब तक यह शरीर स्वस्थ और निरोग है जब तक इन्द्रियां अपने–अपने कामों में समर्थ हैं और जब तक आयुष्य का नाश नहीं होता तभी तक अपने कल्याण के निमित्त विद्वान को प्रयत्न करते रहना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुँआ खोदने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।

21. चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणाश्चलं जीवितयौवनम्।
चलाचले च संसारे धर्म एकोहि निश्चलः।।

HkkokFk% लक्ष्मी चंचल है, प्राण चंचल हैं, जीवन और यौवन दोनों ही चंचल हैं, इस तरह चल और अचल संसार में एकमात्र धर्म ही निश्चल है।

22. सम्पत्सु महतां चित्तं भवेदुत्पलकोमलम्।
आपत्सु च महाशैलशिलासंघाताकर्कशम्।।

HkkokFk% महात्माओं का मन, सम्पत्ति और वैभव प्राप्त होने पर भी कमल की तरह अर्थात् अत्यन्त दयार्द्र बना रहता है और विपत्ति के समय बड़े पर्वत की चट्टानों की तरह अत्यन्त कठोर अर्थात् सहन करने की शक्ति वाला बना रहता है।

23. य प्रीणयेत्सुचरितैः पितरं स पुत्रो
यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद्
एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते।।

HkkokFk% जो अपने अच्छे आचरण और व्यवहार द्वारा माता पिता को प्रसन्न रखे वही अच्छी संतान है, जो अपने जीवन–साथी का हित चाहे वही सच्चा जीवन–साथी है और सुख और दुख दोनों में एक सा व्यवहार रखता हो वही सच्चा मित्र है। संसार में तीनों उपलब्धियां पुण्यात्माओं को ही हुआ करती हैं।

24. षटपदः पुष्प मध्यस्थो यथा सारं समुद्धरेत्
तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारं गृहणन्ति पण्डिताः।।

HkkokFk% जिस प्रकार फूल के बीच स्थित भौंरा उसके सार (मधु) को ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार विद्वान लोग सभी शास्त्रों के सार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं।

25. अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थ च चिन्तयेत्
ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्।।

HkkokFk% बुद्विमान लोगों को यह चाहिए कि वे स्वयं को अजर तथा अमर समझ कर विद्या तथा धन का उपार्जन करते रहें तथा मृत्यु द्वारा बालों को पकड़ा गया है यह सोच कर सदैव धर्म का आचरण करते रहें।

26. सम्पदो महतामेव महतामेव चापदः।
वर्धते क्षीयते चन्द्रो न तु तारागण क्वचित्।।

HkkokFk% सम्पति और विपत्ति में चन्द्रमा की भांति अपना रूप न बदलते हुए महान लोग तारों की भांति सदैव एक समान रहते हैं।

27. अत्यादरो भवेद्यत्र कार्यकारणवर्जितः।
तत्र शंका प्रकर्तव्या परिणामे सुखावहा ।।

HkkokFk% यदि कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसको बिना किसी ठोस वजह या कारण के बहुत अधिक सम्मान दिया जा रहा है या बहुत अधिक प्रशंसा की जा रही है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के व्यक्ति को इस सम्मान अथवा अत्यधिक प्रशंसा पर जल्दी से प्रसन्न न होकर उसके प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है।

28. अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः।
सर्वतः सारमाददयात पुष्पेभ्य इव षटपदः।।

HkkokFk% एक बुद्विमान व्यक्ति ज्ञान के किसी भी क्षेत्र अथवा शाखा या प्रशाखा को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझता और हमेशा इस मान्यता में विश्वास करता है कि किसी भी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा ही जा सकता है। ऐसा व्यक्ति सभी से उनके पास उपलब्ध जानकारी, अनुभव अथवा ज्ञान से कुछ न कुछ ग्रहण करना जानता है ठीक वैसे ही जैसे कि मधुमक्खी जिस फूल पर भी जाती है वहां से कुछ न कुछ ग्रहण कर ही लेती है।

29. अकार्यकरणात् भीतः कार्याणां च विवर्जनात्।
अकाले मन्त्र भेदात् च येन माद्येन्न तत् पिबेत्।।

HkkokFk% व्यक्ति को हमेशा मदिरापान से बचना चाहिए क्योंकि यह अक्सर व्यक्ति को गलत कामों को करने को प्रेरित करती है, सही कामों को करने से रोकती है तथा इस के प्रभाव में आकर व्यक्ति अक्सर बहुत से जाहिर न किए जाने वाले रहस्यों को खोल देता है।

30. पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्।
मूढैः पाषणखण्डेषु रत्नसंज्ञा प्रदीयते।।

HkkokFk% पृथ्वी पर सही मायनों में तीन ही रत्न हैं: जल, अन्न और सुभाषित वचन जबकि मूर्ख लोग इसके विपरीत हीरा, जवाहरात, मूंगा आदि जैसे पत्थर के टुकडों को रत्न समझते हैं।

31. नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने।
विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव नरेन्द्रता।।

HkkokFk% जिस प्रकार सिंह को वन का राजा घोषित किए जाने में दूसरे वन्य जीवों की कोई भूमिका नहीं होती और न ही इस उद्देश्य से उनके द्वारा किसी औपचारिकता का निर्वाह (समारोह का आयोजन) किया जाता बल्कि सिंह अपने पराक्रम के आधार पर स्वयं ही वनराज की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने पुरूषार्थ, पराक्रम और सतत प्रयासों के माध्यम से अन्यों की तुलना में श्रेष्ठतर स्थिति को प्राप्त कर सकता है।

32. अन्न दानं परं दानं विद्यादानं अतःपरम्।
अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवंच विद्यया।।

भूखों को भोजन कराना अथवा जरूरतमंदों की मदद स्वयं में एक पुनीत कार्य है, परंतु इससे भी अधिक पुनीत कार्य है अशिक्षितों को शिक्षित करना क्योंकि भोजन अथवा मदद तो तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जबकि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के बेहतर जीवन–यापन में आजीवन काम आती है।

33. चिन्तनीयाहि विपदं आदावेव प्रतिक्रिया।
न कूप खननं युक्तं प्रदीप्ते वहनिना गृहे।।

HkkokFk% किसी भी व्यक्ति को जीवन में संभावित विषमतम परिस्थितियों के लिए पहले से ही स्वयं को तैयार रखना चाहिए, आपदा आ जाने पर उपचारात्मक उपाय करने में ठीक वैसे ही कोई समझदारी नहीं जैसे कि आग लगने पर कुंआ खोदने (जल की व्यवस्था करने) में।

34. यो जागार तमृचः कामयन्ते,
यो जागार तमु सामानि यन्ति।
यो जागार तमयं सोम आह,
तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः।।

HkkokFk% जो जागृत हैं और आलस्य व प्रमाद से सदैव सावधान रहते हैं उन्हीं को इस संसार में ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होता है। उन्हीं को शांति मिलती है तथा वे ही महापुरुष कहलाते हैं।

35. धृतव्रतो धनदाः सोमवृद्धः स हि वामस्य वसुनः पुरूक्षुः
सं जग्मिरे पथ्या रायो अस्मिन्त्समुद्रे न सिन्धवो यादमानाः

HkkokFk% समुद्र को यद्यपि कोई कामना नहीं होती तो भी अनेक नदियां उसमें जाकर लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार उद्योगी (परिश्रमी) मनुष्यों की सेवा में लक्ष्मी सदैव उपस्थित रहती है अर्थात जो परिश्रम और पुरूषार्थ करते हैं उन्हें कभी धन का अभाव नहीं सताता।

36. न दुर्जनः सज्जनतामुपैति बहुप्रकारैरपि सेव्यमानः
भूयोऽपि सिक्तः पयसाघृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमुपैति

HkkokFk% दुष्ट व्यक्ति की कितनी भी और कितने भी प्रकार से सेवा की जाए फिर भी वह सज्जनता को प्राप्त नहीं कर सकता ठीक उसी प्रकार जैसे कि नीम के पेड़ को दूध और घी से सिंचाई करने पर भी वह मधुरता प्राप्त नहीं कर सकता ।

37. यथा हि पथिकः कश्चित् छायामाश्रित्य तिष्ठति।
विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वद् भूतसमागमः।।

HkkokFk% जिस प्रकार से कि (विश्रांत होने पर) कोई पथिक (राहगीर) किसी छायादार वृक्ष को पाकर उसकी छाया में विश्राम हेतु ठहर जाता है और थोड़ी देर विश्राम करके पुनः अपने गंतव्य की और चल पड़ता है उसी प्रकार इस दुनिया में एक जन्म से दूसरे जन्म में प्राणियों का आवागमन चलता रहता है।

38. मुक्तिसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहमन्वितः।
सिद्धध्यसिध्योर्निविकारः कर्ता सात्विक उच्यते।।

HkkokFk% वृथा अहंकार, यश–अपयश इन से परे–स्वतंत्रता, अटलता और उत्साह से कर्तव्य करने वाला ही सात्त्विक कहलाता है।

39. मन्दः कवियशाःप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्।
प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् उद्बाहुरिव वामनः ।।

HkkokFk% कवि यश की इच्छा से मंद बुद्धि का व्यक्ति मैं कहीं वैसे ही उपहास का पात्र न होऊं जिस प्रकार के उपहास का पात्र किसी ऊँचे वृक्ष पर लगे फल को तोड़ने के प्रयास में अपने हाथ ऊपर किए कोई बौना व्यक्ति। यह श्लोक महान संस्कृत साहित्यकार व महाकवि कालिदास की सुप्रसिद्ध कृति 'रघुवंश' का आरंभिक श्लोक है जो इस महाकवि की विनम्रता को दर्शाता है। अर्थात् महान होने के विभिन्न लक्षणों में से विनम्रता संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है।

40. क्व सूर्यप्रभवो वंशाः, क्व चाल्प विषया मतिः।
तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्।।

HkkokFk% कहां सूर्य जैसे प्रभाव वाला रघुवंश और कहां अल्पबुद्धि वाला मैं अदना– सा सांसारिक व्यक्ति, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वंश के बारे में लेखन और वर्णन का मेरा यह प्रयास ठीक वैसा ही हो जैसा कि मोह रूपी नौका से विशालकाय सागर को पार करने की इच्छा और प्रयास। महान संस्कृत साहित्यकार व महाकवि कालिदास की सुप्रसिद्ध कृति 'रघुवंश' का यह आरंभिक श्लोक भी इस महाकवि की विनम्रता को दर्शाता है। उपरोक्त श्लोक की भांति यह श्लोक भी इसी तथ्य पर बल देता है कि महान होने के विभिन्न लक्षणों में से विनम्रता संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है।

'सिफत न बदली'

बीरेन्द्र सिंह रावत*

प्रकृति गयी है बहुत बदल,
बदल गया है मौसम का मिजाज।
ऋतुओं का समय बदल रहा,
लग पाये न अनुमान इनका आज।
सुख–सुविधाओं का स्तर बदला,
अंग्रेजी में शिक्षा की रीति है निकली।
बदल रहा है सामाजिक परिवेश,
पर मानव की एक सिफत न बदली। 1।

यातायात के साधन बदले,
शहरों की लम्बी दूरी सिमट गयी।
जहां लगते थे दिन घंटे अनेकों,
यात्रा–थकान की याद ही मिट गयी।
संचार के माध्यम गये हैं बदल,
पत्र के बाद फोन की लाईन निकली।
फिर आये मोबाईल, सोशल मीडिया,
पर मानव की एक सिफत न बदली। 2।

गाँवों–शहरों का स्वरूप बदला,
बढ़ा शहरीकरण, सन्नाटा पसरा गाँव में।
शहरी आबादी बढ़ रही है खूब,
पर गुमसुम रहते हैं सब अपने ठाँव में।
संयुक्त परिवार हो रहे खंडित,
किसी की जुबां से आह तक न निकली।
संबंधों के मान बहुत बदल गये,
पर मानव की एक सिफत न बदली। 3।

कार्यालयों का कार्यचालन बदला,
पेपरलेस काम की हो रही है तैयारी।
डिजिटलीकरण का है जमाना,
रिकॉर्ड सही रखने की है जिम्मेदारी।
प्रगति की मानव ने खूब पर,
सोच निंदा, चुगली से बाहर न निकली।
एक को खुश करने हेतु औरों की,
जड़ खोदने की इसकी सिफत न बदली। 4।

* *वरिष्ठ अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

मैं बंधुआ मजदूर हूँ

डॉ. पूनम एस. चौहान*

सन् 1994, शीतकाल से देश ठिठुर रहा था। राजस्थान का जिला जोधपुर और जोधपुर के बम्बोर ब्लॉक में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा एक ग्रामीण शिविर आयोजित किया गया। जनवरी का महीना था। यह शिविर पत्थर–खदान श्रमिकों के लिये लगाया गया। बम्बोर ब्लॉक बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवा केद्रों का अभाव, गरीबी, बेरोजगारी, पानी का अत्यन्त अभाव, यातायात के साधनों की तीव्र कमी, जातिवाद, सामाजिक भेदभाव, लोगों में बसा अन्धविश्वास, स्कूलों की कमी, विशेष करके लड़कियों के लिए स्कूल की कमी, नशाखोरी आदि लक्षणों को ध्यान में रख यहाँ पर शिविर लगाने का निर्णय लिया गया था। पत्थर खदानें लोगों के जीने का एक मात्र सहारा थीं। कृषि भूमि है, परन्तु पानी की असुविधा तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में कृषि में कार्य करना संभव नहीं था।

हमारे शिविर में 45 मजदूरों ने भाग लिया। सभी पुरुष थे। महिलाओं का चुनाव करने पर भी वे समाज के दबाव के कारण शिविर में आ नहीं पायी।

पहले दिन प्रातः काल प्रशिक्षणार्थियों का पंजीकरण करने के बाद, परिचय की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। प्रतिभागीगण संकोच से भरे जिज्ञासु चक्षुओं से हमें निहार रहे थे। तभी नज़र पड़ी एक वृद्ध व्यक्ति पर, जो प्रतिभागियों के पीछे दुबक कर, छिप कर बैठा था। परिचय के दौरान जब उनसे पूछा गया कि शिविर के लिए उनका चुनाव नहीं किया गया था, तो यहाँ पर वो कैसे आ गये? कुछ घबरा कर, तनिक भयभीत स्वर में वह बोले – ''सर मैं तो यह देखने आया हूँ कि यहाँ पर आप श्रमिकों को कौन–कौन सी जानकारियाँ देते हैं।'' उन वृद्ध का नाम मनसुखराम था। जिस समय वे हमसे मिले वे 60 वर्ष के थे। चेहरे पर झुरियाँ, निर्धनता के थपेड़े, निराशा से भरी आँखे, एवं जीवन के आक्रोश के निशान थे। काया कुपोषित, क्षीण तथा कमज़ोर थी। साधारण सी धोती कुर्ते का परिधान, एक हाफ स्वेटर, जिसमें दो छेद साफ दिखाई दे रहे थे। एक पुरानी सी गरम चादर ओढ़े हुए शीत ऋतु की मार से बचने का प्रयास कर रहे थे।

शिविर के प्रथम दिन की समाप्ति के उपरान्त संध्या काल में मनसुखराम ने हम लोगों से वार्तालाप करने की अनुमति मांगी। संध्या का समय था, सूर्य की लालिमा आकाश और धरती को सुनहरा बना रही थी। इधर शाम का धुंधलका भी छाने लगा था।

मनसुखराम ने बताया कि उन्होंने लगभग 42 साल तक रात एवं दिन को एक ही जैसा समझा, अंधकारपूर्ण तथा निराशा से भरपूर। उन्होंने कहा कि – ''मैंने 42 साल तक बंधुआ मजदूरी की है। 15 साल की उम्र में उन्होंने गाँव के जमींदार से मात्र 1500 रूपये उधार लिए थे। उसने अपने खाते के पन्ने पर मेरा अंगूठा लगवा लिया। जमींदार ने मुझे उधार तो दे दिया, पर मुझे अपना बंधक बना लिया।''

मनसुखराम की आवाज़ कुछ भर्रा सी गई। वे जब हमसे मिले तो उनकी उम्र साठ साल की थी, और इतने सालों में भी वे अपना उधार चुका नहीं पाये। जब वे काम करने में अशक्त हो गये, तो जमींदार ने उनके बेटे को अपने अधीन कर लिया। बेगारी का यह सिलसिला निरन्तर चलता ही रहा। जमींदार का पंजा कसता गया, उसकी बर्बरता, अमानवीयता, ज़बान कटुता एवं शोषण की दासता बढ़ती रही। जो इस चक्रव्यूह में फंस गया, उसका जीवन नष्ट हो गया।

मनसुखराम दर्द का पुतला था। उन्होंने कहा – जब मैं बंधुआ मज़दूर बना, मेरा परिवार भी बंधुआ हो गया। मेरी बेबसी, निर्धनता, विवशता का जमींदार ने भरपूर फायदा उठाया। मैं नीची जाति का हूँ, इस कारण भी मुझ पर अन्याय और घोर अत्याचार किया गया। जब कभी भी मैंने मालिक का विरोध करना चाहा, तो उसके बाहुबली गुंडों ने मार–पीट कर मुझे लहुलुहान कर दिया। उन्होंने बताया कि अथक परिश्रम करने के

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

पश्चात भी उन्हें अच्छा भोजन नहीं प्राप्त हुआ। सदा मालिक के परिवार के लोगों की जूठन खानी पड़ती थी। जानवर भी उनसे बेहतर खाना खाते थे।

जब भी मनसुखराम ने मालिक से अपने उधार समाप्त होने की जानकारी लेनी चाही, उसने उन्हें डाँटा–डपटा एवं कुत्ते की तरह दुत्कारा। हमेशा कहा कि ''अभी तो तेरी ब्याज की राशि भी खत्म नहीं हुई। तेरा मूल तो वहीं का वहीं है।''

मनसुखराम अपना–सा मुहँ लेकर, निराश एवं हतोत्साहित होकर लौट जाते।

अचानक मनसुखराम कुछ कहते–कहते रुक गये। उनके संकोच को हमने भाँप लिया। हमने उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए उन्हें अपनी व्यथा की कथा को जारी रखने के लिए उत्साहित किया। मनसुखराम ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और बताया कि उस नृशंस जमींदार ने उन्हें बंधुआ बनाकर, उनकी पत्नी के साथ वर्षों तक बलपूर्वक यौन सम्बन्ध रखे। प्रायः यह कार्य मनसुखराम के समक्ष किया जाता था। उनकी पत्नी दया की भीख मांगती, रोती–कलपती परन्तु मनसुख कुछ नहीं कर पाते क्योंकि या तो उन्हें रस्सी से बांध कर रखा जाता या बाहुबली के चाकू की नोंक पर।

प्रतिदिन लज्जा का यह दृश्य देखकर वे खून के आँसू बहाते। वे अपने भाग्य को कोसते और जीवन की विडम्बना को कन्धों पर लादे, विष का घूँट पीकर अपनी मजबूरी पर मन मसोस कर रह जाते। उनकी पत्नी उनसे आँखें नहीं मिला पाती और उनके पास नहीं आती। मनसुखराम का दाम्पत्य जीवन उसके मालिक की हवस में झुलस गया। दिन में उनकी पत्नी जमींदार के घर के सभी काम करती थी तथा रात्रि के अन्धकार में उसके वीभत्स मनोरंजन का साधन बनती। ये बताते समय मनसुखराम की असीम वेदना और पीड़ा उनके चेहरे और स्वर से स्पष्ट हो रही थी।

मनसुखराम के साथी भी उनकी मदद नहीं कर पाये क्योंकि सभी को अपने प्राण गंवाने का भय था। उस विशैले नाग, जमींदार का भय सम्पूर्ण गाँव में व्याप्त था।

मनसुखराम के नयनों से अश्रुओं के झरने बहने लगे। हमारी आँखों में भी आँसू भर आए। उनकी हृदयविदारक कथा अन्तर्मन को झंझोड़ गयी। कुछ पल तो हम कुछ भी बोल न पाये।

फिर हमने मनसुखराम से कहा कि हम उनको जिलाधीश के समक्ष ले जायेंगे और पुलिस में भी जमींदार के खिलाफ एफ.आई.आर. करायेंगे तथा आपके बेटे को भी मुक्त कराने में सहायता करायेंगे।

मनसुखराम तुरन्त हमारे पैरों पर गिर गये। उन्होने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हम ऐसा कुछ न करें क्योंकि उनके बेटे की हत्या हो जायेगी। उनका कहना था कि मैंने बंधुआ मज़दूर बन कर अपने जीवन और अपनी आत्मा को बेच दिया, अपना सर्वस्व खो दिया। अपनी हँसी, खुशी और प्रतिष्ठा की आहुति दे दी। पर अब अपने इकलौते बेटे को खोने की हिम्मत नहीं है मुझमें। उनकी करुण गुहार सुनकर हम ने कुछ नहीं करने का निर्णय लिया।

मनसुखराम ने निवेदन किया कि हम उन्हें शिविर में रहने दें। शिविर के पाँचवे एवं अन्तिम दिन मनसुखराम ने कहा – ''यदि मैं आप लोगों से 42 साल पहले मिलता और ये ज्ञान की बातें सुनता तो कभी किसी अमानुष का बंधक नहीं बनता। गरीबी ही सही, पर एक खुशहाल ज़िन्दगी तो जी पाता।''

भारत सरकार ने बंधुआ मज़दूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1966, को पारित किया। जिसमें बंधुआ मज़दूरों को मुक्त करने के कई प्रावधान हैं। परन्तु परिणाम अभी इतने उत्सावर्धक नहीं हैं। रोजगार का सबसे अमानवीय, वीभत्स, पशुतापूर्ण एवं अत्याचारी स्वरूप है बंधुआ मज़दूरी।

बंधुआ मज़दूरी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें छिपा हुआ है – शोषण और अन्याय। बंधुआ मज़दूरों को मिलने वाली मज़दूरी इतनी अपर्याप्त है कि मज़बूर होकर मज़दूर बंधुआ हो जाता है। किसी मज़दूर को बंधुआ बना कर काम कराना उसके मानवीय अधिकारों का हनन है एवं कानून का उल्लधंन।

बंधुआ मजदूर प्रथा का जड़ से उन्मूलन करना कहीं न कहीं हम सभी की जिम्मेदारी है। जो श्रमिकवर्ग देशवासियों को जीवन देता है, उनके सम्मान को संरक्षित करना हम सभी का कर्तव्य है। मानवता को शर्मसार होने से बचाना है।

'काला धन' मुक्त भारत

राजेश कुमार कर्ण*

भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि, उद्योग, संचार, परिवहन, विज्ञान एवं तकनीक आदि विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति हुई है। किंतु अर्थव्यवस्था के समानांतर भ्रष्टाचार और काला धन की चुनौती विकराल रूप लेती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप बहुसंख्य जनता भूख, गरीबी, शोषण एवं बेरोजगारी से त्रस्त है। यहां लगभग 20 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे सोते हैं। यहां किसानों की आत्महत्या की दर, कुपोषित शिशु मृत्यु दर एवं गर्भ और प्रसव संबंधी सुविधाओं के अभाव में महिला मृत्यु दर सर्वाधिक है। यह एक स्थापित सत्य है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और काला धन देश में गरीबी और शोषण का मुख्य कारण है। एक तरफ कालाधन और भ्रष्टाचार देश के विकास में सबसे बड़े बाधक बने हुए हैं तो दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां, नेता, नौकरशाह, व्यापारी, उद्योगपति, अपराधी, बिल्डर, तस्कर तथा बिचौलिए काले धन के गोरखधंधे में लिप्त हैं। देश के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए भ्रष्टाचार एवं कालेधन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है।

काले धन के अनेक स्रोत हैं। काला धन सिर्फ कुछ कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट टैक्स एवं लोगों द्वारा इनकम टैक्स की चोरी, उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क की चोरी एवं कमीशन के जरिए ही जमा नहीं किया जा रहा बल्कि तस्करी, ड्रग्स, आतंकवाद, अवैध वसूली, अपहरण एवं फिरौती जैसी आपराधिक गतिविधियों के जरिए भी जमा किया जा रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार काले धन को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। ठेके देने, कारोबार में छूट देने, लाइसेंस देने, गोपनीय सूचनाएं देने तथा ऐसे लचर कानून बनाने जिनमें बच निकलने के रास्ते हों, के नाम पर कई असरदार नेता जमकर काला धन कमाते हैं।

ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी के आकलन के अनुसार भारत में करीब 29 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। इसमें से 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में जमा हैं। काले धन को विदेश भेजने में हवाला कारोबार की मुख्य भूमिका है जिसमें करेंसी की अदला–बदली की जाती है। हवाला कारोबारी भेजे गए कालेधन के बदले वहां विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। यह धन लगभग 40 देशों के बैंकों में जमा कर दिया जाता है जहां न आयकर संबंधी प्रावधान होते हैं और न ही जमाकर्ता से आय के स्रोत का विवरण मांगा जाता है। यह काला धन भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के साथ–साथ सामाजिक–राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालने का काम कर रहा है। काला धन से सामाजिक–आर्थिक असमानता, अस्थिरता, अतिवाद, हिंसा, आपसी वैमनस्यता एवं ईमानदार लोगों की हताशा में इजाफा होता है। काला धन गरीब को गरीब बनाए रखता है। देश और जनता से जुड़ी इन समग्र परिस्थितियों में भ्रष्टाचार एवं काला धन की समाप्ति के लिए सख्त प्रयास की जरूरत लंबे समय से महसूस की की जा रही थी ताकि इससे जनता और देश की किस्मत पूरी तरह बदली जा सके।

2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार बनी तब लोगों की अपेक्षा थी कि अपने बूते बहुमत में आई केन्द्र सरकार सख्त फैसले ले और पिछली सरकार की तरह 'पॉलिसी–पैरेलिसिस' न हो। गरीबों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और समाज के संवेदनशील तबकों का कल्याण प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। लोगों की अपेक्षा के अनुरूप मोदीजी ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया और अपने काम की शुरूआत ही काला धन के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एम.बी. शाह की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) बनाकर की। यह विशेष जांच दल न केवल भारत में काला धन जमा करने वालों के विरुद्ध जांच और कार्यवाही कर रहा है बल्कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले भारतीयों के विरुद्ध भी जांच और कार्यवाही कर रहा है। विदेशों में भारतीय काला धन पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने 'काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं आस्ति) और करारोपण,

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

अधिनियम 2015' 1 जुलाई 2015 से लागू किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विदेशों में अवैध धन या सम्पत्ति रखने पर 10 वर्ष की सख्त सजा एवं जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

काले धन को विदेश से लाने के लिए विभिन्न देशों के साथ टैक्स समझौतों में संशोधन किए एवं नए समझौते केन्द्र सरकार ने किए। संशोधित दोहरा कर बचाव संधि (डीटीएए) के तहत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देश अप्रैल 2017 से अपने यहां काला धन जमा करने वाले भारतीयों के नाम की सूची देने के लिए सहमत हो गए हैं। केन्द्र सरकार ने अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ सूचना के आदान–प्रदान का प्रावधान किया। काले धन का खुलासा करने के लिए 'इनकम डिक्लेरेशन स्कीम' 1 जून 2016 से लागू किया जो 30 सितंबर 2016 तक जारी रही। कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसना जरूरी था, इसलिए सरकार ने 'बेनामी लेन–देन (प्रतिबंध) संशोधन एक्ट, 2016' 1 नवंबर 2016 से लागू किया। इतने प्रयासों के बावजूद पिछले ढ़ाई वर्षों में भ्रष्टाचारियों से मात्र सवा लाख करोड़ रुपए का काला धन ही बाहर आया जो सरकार एवं जनता की अपेक्षा से बहुत कम था। साथ ही, पाकिस्तान की सरकारी खुफिया एजेंसी आईएसआई कराची के सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से 500 एवं 1000 रुपए के जाली नोट छपवाकर बांग्लादेश तथा नेपाल के रास्ते भारत में भेजकर भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही थी। ऐसी विकट स्थिति में भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट एवं आतंकवाद के विरुद्ध ज्यादा सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था।

इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधान मंत्री जी ने साहसिक एवं ऐतिहासिक कदम उठाते हुए घोषणा की कि ''आज मध्य रात्रि यानि 8 नवंबर 2016 की रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानि ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी।... 100, 50, 20, 10, 5, 2 और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित हैं और लेनदेन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है।'' कुल मुद्रा में 500 एवं 1000 रुपए का हिस्सा 86% है, इनपर रोक से जनता को कम–से–कम तकलीफ हो, इसके लिए अनेक व्यवस्थाएं की गईं। प्रधान मंत्री जी ने सभी देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि ''आइये सभी शुचिता की दीवाली मनाएं, पूरे विश्व को भारत की इस ईमानदारी का उत्सव दिखाएं, पूरे देश में प्रामाणिकता का पर्व मनाएं जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, कालेधन पर नकेल कस सके, जाली नोटों का खेल खेलने वालों को नेस्तनाबूत कर सकें जिससे कि देश का धन गरीबों के काम आ सके, हर ईमानदार नागरिक को देश की संपन्नता में उसकी उचित हिस्सेदारी मिल सके, आने वाली पीढ़ी गर्व से अपना जीवन जी सके।''

500 एवं 1000 रुपए के नोटबंदी की घोषणा होते ही कालेधनधारियों में हडकंप मच गया। उन्होंने काला धन ठिकाने लगाने के लिए धड़ल्ले से ज्वेलरी, फर्नीचर, एंटिक पीस, सजावटी सामान, महंगे कपड़े, एयर/रेलवे टिकट खरीदे। बहुत से उद्यमियों और व्यापारियों ने कालेधन के रूप में रखे हुए 500 एवं 1000 रुपए के नोट से जबरन अपने कर्मचारियों को अगले कुछ महीनों की सैलरी एडवांस में दे दी। साथ ही उन्होंने कमीशन का लालच देकर अपने पुराने नोट भी बदलवाये। 'तू डाल–डाल मैं पात–पात' का अनुसरण करते हुए सरकार भी इसके प्रत्युत्तर में सख्त निर्णय लेती रही एवं नोट खपाने के 'जुगाड़' पर शिकंजा कस दिया। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में काली कमाई वालों पर आयकर छापे मारे गए। साथ ही, एक्साइज विभाग ने 25 शहरों के 600 ज्वेलरों से काला धन से सोना बिक्री का ब्यौरा मांगा है। इससे काली कमाई वालों में अफरा–तफरी मची हुई है। उनके विरुद्ध अभी भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में करोड़ों के नोट उनके द्वारा जलाए गए तथा मिर्जापुर में गंगा में बहाए गए। यह निश्चित रूप से इस मुहिम की जीत है। टैक्स प्रोफाइल से मेल नहीं खाने वाले 18 लाख खातों के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है। इन संदिग्ध जमा वाले खातों की आयकर जांच में पकड़ी गई रकम से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के सफल होने की संभावना बढ़ेगी।

500 एवं 1000 के पुराने नोट पर रोक लगने के कारण इन नोटों को जमा करने/बदलने और मान्य नोट प्राप्त करने में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी लोग नोटबंदी से नाराज नहीं हैं बल्कि समर्थन कर रहे हैं। वास्तव में, देश

निर्णायक मोड़ पर है, भविष्य के उज्ज्वल पक्ष के लिए लोगों में काफी उत्साह है। काला धन खत्म करने के प्रति लोगों में आम सहमति है। काला धन खत्म करने के लिए सार्थक प्रयास करने के लिए मोदी जी को दाद देनी होगी। उनका यह निर्णय दिल को छूने वाला है। नोटबंदी से दीर्घावधि में महंगाई, असमानता, अपराध एवं अराजकता में काफी हद तक कमी होने की उम्मीद है। वर्ष 2000 के बाद से लगभग 90 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से सरकार को 500 एवं 1000 के नोट छापने पड़ रहे थे, इसके अनुसार इन नोटों की संख्या जो 2016 में देश के कुल करेंसी की 86% थी, वर्ष 2025 में बढ़कर 94% हो जाती। ऐसे में फिर चाहकर भी कोई सरकार नोटबंदी नहीं कर पाती। इसी अनुपात में यदि सरकार 500 एवं 1000 के नोट छापती रहती तो चार–पांच वर्षों बाद भारत में इतनी महंगाई हो जाती कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती थी। वास्तव में, नोटबंदी से आम आदमी के जीवन में खुशहाली आती है और काला धन रखने वाले परेशान होते हैं।

इस नोटबंदी से जाली नोट बेकार हो गए। ज्यादातर जाली नोट 500 और 1000 रुपए के ही होते हैं। काला धन आतंकवाद को नई ताकत देता है। नोटबंदी से हथियारों की तस्करी, जासूसी और आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक मदद काफी हद तक बंद हो गयी है। आईएसआई, जैशे–मोहम्मद, लश्करे–तैयबा आदि आतंक परस्त संगठनों की कमर टूट गई है और पाकिस्तान में इस धंधे से जुड़े लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नक्सलियों की आमदनी का मुख्य स्रोत लेवी है, जो कैश में ही ली जाती है। इससे उनके लगभग 600 करोड़ रुपए रद्दी के कागज बनकर रह गए हैं।

देश में भारी मात्रा में कैश करेंसी के सर्कुलेशन के कारण आवास महंगे हो गए थे। आम आदमी का घर का सपना उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। घर खरीदने में कालेधन के कारण आयी कृत्रिम तेजी अब खत्म होगी और इनके दाम घटेंगे। इससे आम आदमी के लिए घर लेना मुमकिन हो पाएगा। मेहनत से कमाई गई रकम को फिर से वह सम्मान मिलेगा, जिसकी वह हकदार है। घर प्रायः सफेद और कालेधन के मिलेजुले स्वरूप में (कुछ चेक से तथा कुछ नगद) खरीदी जाती है। नोटबंदी के बाद नया चक्र शुरू होगा। इसमें सिर्फ नया काला धन निर्मित हो सकता है। प्रॉपर्टी बेचने वाला यदि कुछ सफेद और कुछ काले धन की मांग करता है तो खरीदार को अपना सफेद धन बैंक से निकालकर काले धन में बदलना होगा। खरीदार ऐसी डील तबतक नहीं करेगा जबतक कि उसे प्रॉपर्टी की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि अपेक्षित न हो। इससे काले धन के दोगुने–चौगुने होने का दुश्चक्र बंद होगा जिससे जरूरत की सभी सामान और सेवा की कीमत घटेगी, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों के पहुंच में आएंगी। महंगाई कम होने से नौकरीपेशा लोगों के हाथ में ज्यादा बचत होगी। इससे लोगों की क्रयशक्ति बढ़ेगी जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी एवं इसकी आपूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि होगी। नोटबंदी के कारण लोग बैंक में अपना रुपया जमा करने के लिए बाध्य हो गए हैं, इससे बैंकों के खातों में जमाधन की वृद्धि हुई है। इससे बैंकों के पास जमाधन की कीमत कम हो गई है परिणामतः बैंकों ने ब्याज दर में कमी की है और ऋण सस्ते हो गए हैं। इससे मांग बढ़ेगी। नोटबंदी से बैंकों में जमा सभी पैसे के मालिकों का पता चल गया है, इसलिए इनकम टैक्स देनेवालों की संख्या बढ़ेगी, जीडीपी में इनकम टैक्स का अनुपात भी बढ़ेगा जिससे विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त होगा जिसका फायदा सरकार के साथ–साथ आम लोगों को भी होगा। नोटबंदी से सरकार को लगभग दो लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि (कुछ काले धनधारियों द्वारा पुराने नोट बैंक में जमा नहीं करवाने, टैक्स एवं जब्ती से) मिलने की संभावना है। सरकार के खाते में अधिक पैसे आने का मतलब है जन–हितकारी कामों का गति पकड़ना। काले धन की समाप्ति और अगले वित्तीय वर्ष से जीएसटी लागू होने से भारत की जीडीपी में भी वृद्धि होगी। बड़े नोटों को बैंक में जमा करने से और अधिक लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बाध्य होंगे जो जीएसटी की सफलता के लिए जरूरी है। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने ठीक ही कहा है कि "हम अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। सरकार को अब सार्वजनिक धन के विश्वसनीय संरक्षक के रूप में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में नोटबंदी एक साहसिक कदम था।"

अधिकांशतः कालेधन का उपयोग गैर–कानूनी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है जिससे एक तरफ जहां सामाजिक विकृतियां एवं कुरीतियां पनपती हैं वहीं दूसरी तरफ अपराध, अराजकता एवं कृत्रिम महंगाई में वृद्धि होती है। चुनावों में कालेधन का खेल कोई छिपी बात नहीं है। कालेधन का इस्तेमाल चुनाव में टिकट खरीदने, प्रचार करने, वोटर को लालच देकर वोट खरीदने में किया जाता है। नोटबंदी से राजनीति में काले धन के लेनदेन पर रोक

लगेगी जिससे चुनाव अब अपेक्षाकृत साफ–सुथरे होंगे एवं निष्पक्ष एवं ईमानदारी से लड़े जाएंगे। नोटबंदी चुनाव सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ईमानदार प्रत्याशी के चुनाव जीतने की संभावना बढ़ी है। राजनीति तभी पवित्र हो सकती है जब राजनीतिक दल आम आदमी से सीधे जुड़े जमीनी कर्मठ नेताओं को सम्मान दें और बाहुबलियों और धनबलियों को अपने टिकट न बेचें।

यह भी उम्मीद की जा रही है कि नोटबंदी से भारत कैश सोसाइटी से कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में ज्यादातर सैलरी नकद में दी जाती है किंतु कैश ट्रांजेक्शन के कम हो जाने से अधिकांश कर्मचारी अब भविष्य निधि, ईएसआई और अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे। साथ ही, ऑनलाइन भुगतान तथा मोबाइल बैंकिंग द्वारा जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी लागत काफी कम बैठती है जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा। लोग कार्ड से या ऑनलाइन खरीद एवं भुगतान करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे खरीद–बिक्री पर टैक्स छुपाना कठिन हो जाएगा। इस तरह अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। देश में बड़े आर्थिक सुधारों के लिए जरूरी है कि हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ें। नोटबंदी का असर दीर्घावधि में दिखेगा क्योंकि इससे काला धन की मानसिकता/केन्द्र बिन्दु पर चोट पहुंचा है। इससे धीरे–धीरे काला धन खत्म होना शुरू होगा और अंततः खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार एवं काला धन ऊपर से नीचे फैला हुआ है। अब ऊपर से शुद्धिकरण हो रहा है तो इसका असर धीरे–धीरे नीचे लेवल तक भी होगा। नोटबंदी का फैसला अंत तक पूरी तरह गोपनीय रहा और इसीलिए यह सफल रहा। इससे सरकार के राजस्व में काफी वृद्धि हुई है जिसका उपयोग राजकोषीय घाटा कम करने, विकास कार्य एवं गरीबों के उत्थान के लिए करने की अपेक्षा है।

भ्रष्टाचार और काला धन कारोबार कुछ भ्रष्ट नौकरशाही, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उद्योगपति के गठजोड़ से उपजे हैं, इनसे निपटने के लिए नोटबंदी ही पर्याप्त एवं अकेला ईलाज नहीं है, कुछ और भी गंभीर, सख्त एवं पारदर्शी कदम उठाने होंगे। कालेधन के मूल स्रोतों की पहचान कर उनका सफाया करना होगा। काला धन पैदा होने का मूल कारण है टैक्स की दरों का अधिक होना एवं भ्रष्टाचार। अधिक टैक्स दर की वजह से ही जनता भी टैक्स देने से बचना चाहती है और व्यापारी और खरीदार कच्ची–पक्की रसीद से खेलते रहते हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कर सुधार, पुलिस–नौकरशाही सुधार, चुनाव सुधार, सरल नियम और पारदर्शी व्यवस्था, सिटिजन चार्टर, शुचिता आदि जरूरी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पूर्णतः लोकपाल के दायरे में लाने से भी काले धन की वापसी के मार्ग की बाधाएं खत्म होंगी एवं नए कालेधन की उत्पत्ति भी नहीं होगी।

राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदों पर भी सख्त निगरानी जरूरी है क्योंकि चंदे की गड़बड़ी चुनाव से लेकर शीर्ष पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार और कालेधन की बड़ी वजह है। गुमनाम राजनीतिक चंदे को नगद में बीस हजार से घटाकर दो हजार रुपए का प्रस्ताव एवं राजनीतिक चंदे के लिए बैंक बांड का प्रस्ताव क्रांतिकारी है। तीन लाख रुपए से अधिक के नगद लेन–देन पर रोक एवं सख्त पेनाल्टी लगाने के प्रस्ताव से भी सभी सेक्टरों में पारदर्शिता आएगी एवं कालेधन पर लगाम लगेगी। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो, पारदर्शिता हो एवं वे आरटीआई के अंतर्गत आएं। अब समय आ गया है कि सरकारी खर्च से चुनाव कराने पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए।

इसके अतिरिक्त, विशेष सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं, बांड्स एवं बेहतर स्वैच्छिक घोषणा योजनाएं आदि चलाकर भी कालेधन की निकासी करवाई जा सकती है। देश की उन्नति एवं जनता के कल्याण हेतु कालेधन की वसूली अत्यावश्यक है। कालेधन के स्रोतों एवं सफेदपोश अपराधों को रोकने के लिए भारत में पहले से ही कई कानून मौजूद हैं जैसे– औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986; आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1993; आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1950; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1974 एवं कंपनीज एक्ट, 2013 आदि। इसी क्रम में कालेधन एवं भ्रष्टाचार–घोटालों को उजागर करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला 'व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून' एवं 'नोटबंदी' से भारत भ्रष्टाचार एवं काला धन मुक्त देश बनने की ओर अग्रसर होगा। यदि विदेशों में जमा काला धन वापस आ जाए तो इससे भारत की काया पलटी जा सकती है। समानांतर अर्थव्यवस्था से गरीबों का नुकसान होता है। केन्द्र सरकार कालेधन के विरुद्ध लड़ाई छेड़ चुकी है। सरकार के पहलों के अच्छे परिणाम तभी आएंगे जब कालेधन के विरुद्ध लड़ाई में जन–सहभागिता एवं जागरूकता बढ़े। चाणक्य के कहे इन शब्दों को अपने जीवन में चरितार्थ कर हम अपने देश से काला धन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं कि "हमें पैसे कमाने के सही साधनों और पैसे खर्च करने के सही तरीकों पर बार–बार विचार करना चाहिए।"

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्त्वावधान में सोमवार, 23 दिसम्बर 2016 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता शुरु करने से पहले संस्थान की ओर से श्री विनय कुमार शर्मा, सहायक प्रशासन अधिकारी ने सभी प्रतियोगियों का स्वागत करते हुए उन्हें संस्थान द्वारा राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और हिंदी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता में सफलता के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर नराकास, नौएडा के सदस्य सचिव श्री अजय कुमार, भी उपस्थित थे। उन्होंने नराकास, नौएडा की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए प्रतियोगियों से अधिकाधिक काम हिंदी में करने का आग्रह किया।

इस प्रतियोगिता में नराकास, नौएडा के 24 सदस्य कार्यालयों से 57 प्रतियोगियों ने भाग लिया। श्री बीरेन्द्र सिह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा प्रतियोगिता के संबंध में आवश्यक जानकारी देने के उपरांत मंचासीन अतिथियों की आज्ञा से प्रतियोगिता शुरु की गयी।

रघुवीर सहायः प्रसिद्ध साहित्यकार

'विचारवस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन एवं शक्ति देता है और यह तभी संभव है, जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों।' ऐसा मानने वाले हिंदी की साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय ने अपनी रचनाओं में बड़ी ईमानदारी से सामान्य जीवन एवं समाज का यथार्थ प्रस्तुत करते हुए लोक–चेतना जागृत करने के साथ ही जनता को भविष्य के खतरों के बारे में आगाह किया है।

रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसम्बर 1929 को लखनऊ के मॉडल हाउस मुहल्ले के एक शिक्षित मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री हरदेव सहाय लखनऊ के 'ब्वॉय एंग्लो बंगाली स्कूल' में साहित्य के अध्यापक थे। दुर्भाग्यवश इनकी माँ श्रीमती तारा देवी इन्हें दो वर्ष का दुधमुँहा बच्चा छोड़कर ही 1931 में स्वर्ग सिधार गईं। बालक रघुबीर सहाय की शिक्षा–दीक्षा लखनऊ में ही हुई। 1944 में मैट्रिक तथा 1946 में इंटर की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 1948 में बी. ए. करने के बाद इन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एम. ए. की उपाधि प्राप्त की थी। सत्रह वर्ष की आयु में ही इन्होंने कविता लिखना आरंभ कर दिया था। 1946 से लेकर 1948 तक इनकी कविताएं 'आजकल', 'विश्ववाणी', 'संगम', 'प्रतीक' आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। 1949 में ही इन्होंने 'दूसरा सप्तक' में प्रकाशन के लिए अपनी कविताएँ अज्ञेय जी को दे दी थीं, जो 1951 में प्रकाशित हुईं।

रघुवीर सहाय 1951 में एम. ए. करने के बाद अज्ञेय जी द्वारा सम्पादित 'प्रतीक' में सहायक संपादक होकर दिल्ली आ गए। 1952 में 'प्रतीक' के बंद होने के बाद अप्रैल 1953 तक दिल्ली में ही मुक्त लेखन करते रहे। मई 1953 में इन्होंने आकाशवाणी, दिल्ली के समाचार विभाग में उप–संपादक का कार्यभार संभाला। इनका विवाह प्रो. महादेव प्रसाद, अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, वी.एस.एस.डी. कॉलेज, कानपुर की पुत्री विमलेश्वरी देवी से 1955 में हुआ। मार्च 1957 में आकाशवाणी से त्यागपत्र देकर इन्होंने मुक्त लेखन को जीवन–यापन का आधार बनाया। इसी वर्ष इनकी 'हमारी हिंदी' शीर्षक वाली कविता 'युग–चेतना' पत्रिका में छपी। इस कविता को लेकर काफी बावेला मचा, अनेक टीका–टिप्पणियाँ हुईं। लेकिन इस विवाद के माध्यम से रघुवीर सहाय हिंदी कविता जगत में काफी चर्चित भी हुए। अगस्त 1959 में आकाशवाणी में तीन साल के अनुबंध पर इनकी नियुक्ति हुई। दूरदर्शन से 1959 के गणतंत्र दिवस समारोह का पहला 'आँखों देखा हाल' इन्होंने ही प्रस्तुत किया। 1960 में प्रायोगिक दूरदर्शन का उद्घाटन होने पर दूरदर्शन पर नियमित व्याख्यात्मक वार्ताओं का आरंभ करने के लिए इनका चयन हुआ। 1963 में दैनिक 'नवभारत टाइम्स' में विशेष संवाददाता बने। मार्च 1968 में 'नवभारत टाइम्स' से स्थानांतरित होकर समाचार सम्पादक के रूप में इनकी नियुक्ति हिंदी के विशिष्ट साप्ताहिक पत्र 'दिनमान' में हुई। अज्ञेय जी के त्यागपत्र देने के पश्चात 1970 में 'दिनमान' के संपादक बने। रघुवीर सहाय को विदेशों की यात्रा करने तथा विदेशी साहित्यकारों से मिलने और उनसे विचार–विमर्श कर लाभान्वित होने के भी अनेक अवसर मिले। फरवरी 1970 में 'सोवियत लेखक संघ' के निमंत्रण पर वह रूस गए और रूसी साहित्यकारों–विचारकों एब्तुशेंको तथा अलेक्सांद्र सेंकेविच के संपर्क में आए। इसी वर्ष इंग्लैंड–जर्मनी की यात्रा के दौरान वह उपन्यासकार ऊबे जॉनसन तथा कवि ऐलन जे. ब्राउन से परिचित हुए। 1971 एवं 1972 में बांग्लादेश की यात्रा की तथा वहां के कवियों एवं बुद्धिजीवियों से निकट का परिचय प्राप्त किया। 1974 में 'विश्व आर्थिक संबंध' नामक गोष्ठी में भारतीय पत्रकारों के प्रतिनिधि के तौर पर तोक्यो एवं बैंकाक की यात्रा की। 1975 में पूर्वी जर्मनी एवं हंगरी की यात्रा की तथा वहां के प्रसिद्ध कवियों से मिलने का अवसर मिला। 1978 में तुर्की सरकार के निमंत्रण पर वहाँ की यात्रा की। अपने व्यवस्था–विरोधी रुख के कारण 1982 में इन्हें 'दिनमान' के सम्पादक पद से हटाकर 'नवभारत टाइम्स' में स्थानांतरित कर दिया गया। इस अवैध स्थानांतरण के विरोध में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' प्रकाशन से इन्होंने 1983 में त्याग–पत्र देकर स्वतंत्र लेखन को जीविका का आधार बनाया। 30 दिसम्बर 1990 को इनका निधन हो गया।

समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक रघुवीर सहाय की विचारधारा तथा जीवनदृष्टि का निर्माण करने में राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण का हाथ रहा। मार्क्सवाद के प्रति झुकाव होते हुए भी वह उसके अंध–भक्त नहीं रहे। सर्जनात्मक लेखन के

अतिरिक्त रघुवीर सहाय की अन्य रुचियाँ हैं– अभिनय, संगीत तथा पशुपालन। लखनऊ नाट्य मंच के गठन में वह कृष्ण नारायण कक्कड़ तथा नरेश मेहता के सहयोगी तो थे ही, इन्होंने यशपाल के नाटक 'नशे–नशे की बात' में अभिनय भी किया था। परंतु वह हिंदी जगत में एक कवि के रूप में अधिक जाने जाते हैं। ये साहित्य–जगत में उस पीढ़ी के सदस्य थे, जो स्वाधीनता आंदोलन की समाप्ति पर रचनाशील हुई थी। स्वाधीनता–प्राप्ति के बाद जो नयी काव्यधारा उभरकर सामने आई, उसमें रचनाकारों का एक बड़ा समुदाय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उदासीन एवं गैर–राजनीति या राजनीति–विरोधी होता गया। यह उस समय के शासक वर्ग की एक अपेक्षा भी थी कि इस नये मध्य–वर्ग को उस आदर्श भावना और जनतांत्रिक मूल्यों से काट दिया जाए, जो सामाजिक रूपांतरण को बढ़ावा देते हों। उस दौर के अनेक कवियों ने आत्म–संस्कार या सामाजिक संस्कार से अपने को अलग रखकर ही अपनी आधुनिकता को सार्थक माना। लेकिन उस काव्यधारा के लगभग एकमात्र कवि रघुवीर सहाय ही थे, जिन्होंने अपनी जनतांत्रिक संवेदनशीलता को कायम रखा। इन्होंने बिना किसी विचारधारा का सहारा लिए स्व–विवेक के आधार पर जीवन और समाज के प्रति अपने रुख का निर्धारण किया। इस तथ्य का एक हल्का अहसास 'सीढ़ियों पर धूप' में संगृहीत उनकी कुछ कविताओं में मिलने लगता है, लेकिन 'आत्महत्या के विरुद्ध' शीर्षक काव्य–संग्रह की बहुत–सी कविताओं में उनकी लोकतांत्रिक चेतना की अभिव्यक्ति स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है।

'हँसो हँसो जल्दी हँसो' संग्रह की अधिकांश कविताएँ रघुवीर सहाय के सामाजिक और नैतिक सरोकारों को संकेतित करती हैं। यह संग्रह आपातकाल की पूर्वपीठिका पर आधारित है। 1972 से 1975 के मध्य लिखी गईं इनकी कविताएँ इसमें संकलित हैं। आपातकाल के पूर्व के सन्नाटे और चुप्पी को इसमें पूरी तरह उजागर किया गया है। इनकी एक कविता 'आने वाला खतरा' आपातकाल के आगामी खतरे का संकेतक है। यह कविता 1974 में लिखी गई थी, जब बिहार के साथ ही पूरे देश में एक जोरदार संघर्ष चल रहा था। शासक समुदाय पैसे, शक्ति और सेंसरशिप के माध्यम से आतंक के नए रास्ते ढूंढने लगा था। इन सारी स्थितियों को देखते हुए रघुवीर सहाय द्वारा आपातकाल का पूर्वाभास अंतश्चेतना के आधार पर की गई भविष्यवाणी न होकर उनके द्वारा यथार्थ पहचान पर आधारित था। रघुवीर सहाय ने साधारण बोलचाल की भाषा के अति साधारण शब्दों का प्रायः गद्यवत प्रयोग किया है। वस्तुतः असाधारणता इनके नाटकीय शिल्प के माध्यम से इनकी कविता में आई है। अपने नए कथ्य एवं शिल्प के कारण उन्होंने हिंदी कविता को नया रूप दिया है।

रघुवीर सहाय ने अपनी कुछ कविताओं में हँसी के विभिन्न रूपों को पहचानने की कोशिश की है। हँसी प्रसन्न मन और मुक्ति का अहसास कराने वाली सहज एवं मानवीय अभिव्यक्ति है। वह शासनतंत्र के विरोधाभास को अपनी दो कविताओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। 'हँसो हँसो जल्दी हँसो' कविता में कवि कहता है कि हँसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्घोष करती है परंतु वर्तमान शासनतंत्र इस स्वतंत्र अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करता है। अतः वह हँसी पर पाबंदी लगाता है या जनता को विवश किया जाता है कि वह जल्दी हँसने के आदेश को पूरा करे। हँसी का इस्तेमाल लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए करते नजर आ रहे हैं। उस गरीब, जिस पर मार पड़ रही है, को भी हँसना पड़ता है। इस कविता के माध्यम से कवि वर्तमान समाज में शोषित, उत्पीड़ित एवं गरीब लोगों की विवशता की ओर संकेत करता है और बताता कि वे निश्छल हँसी तक नहीं हँस सकते। उन्हें दहशत, आतंक के कारण उन अवसरों पर हँसने के लिए बाध्य किया जाता है, जो हँसने के नहीं, रोने के क्षण होते हैं। 'आपकी हँसी' कविता में कवि ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर बोलचाल की भाषा में व्यंग्य किया है। 'हँसे' शब्द की बार–बार आवृत्ति बनावटी हँसी की असलियत को स्पष्ट करती है। स्वाधीन भारत में निर्धनता, शोषण, बेकारी और असुरक्षा है और नेतागण खुद को सुरक्षित करने हेतु रिश्वतखोरी और अवसरवादिता को निरंतर प्रश्रय देते हैं। वे इन समस्याओं के हल न होने पर झूठी लाचारी व्यक्त करने के बाद भोली–भाली जनता का उपहास उड़ाते हैं। कवि अपनी दुर्दशा के लिए जनता को भी दोषी ठहराता है, शोषण एवं दमन के आतंक के बीच देशवासी असंगठित हैं, कायर हैं तथा भाग्यवादी बने हुए हैं। कवि ने शासकवर्ग की बर्बरता एवं निर्भय होकर मनमानी करने की प्रवृति और जनता की कायरता एवं आत्मकेंद्रित होते समाज में तटस्थ रहने वाले बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता एवं संवेदनाशून्यता को भी अपनी रचनाओं में उद्घाटित किया है। इस तरह कवि बुद्धि जीवियों को स्वयं जागने तथा शोषित, उत्पीड़ित जनता को जगाने के लिए भी ललकारता है। इन्हीं सब विषयों पर प्रस्तुत हैं उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएँ:

'आने वाला खतरा'

इस लज्जित और पराजित युग में
कहीं से ले आओ वह दिमाग
जो खुशामद आदतन नहीं करता

कहीं से ले आओ निर्धनता
जो अपने बदले में कुछ नहीं माँगती
और उसे एक बार आँख से आँख मिलाने दो

जल्दी कर डालो कि फलने फूलनेवाले हैं लोग
औरतें पिएँगी आदमी खाएँगे – रमेश
इसी तरह एक दिन आएगा – रमेश
कि किसी की कोई राय न रह जाएगी – रमेश
क्रोध होगा पर विरोध न होगा
अर्जियों के सिवाय – रमेश
खतरा होगा खतरे की घंटी होगी
और उसे बादशाह बजाएगा – रमेश

'आपकी हँसी'

निर्धन जनता का शोषण है, कह कर आप हँसे
लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कह कर आप हँसे

सब के सब हैं भ्रष्टाचारी, कह कर आप हँसे
चारों ओर है बड़ी लाचारी, कह कर आप हँसे

कितने सुरक्षित आप होंगे, मैं सोचने लगा
सहसा मुझे अकेला पाकर, फिर से आप हँसे

'रामदास'

चौड़ी सड़क गली पतली थी
दिन का समय घनी बदली थी
रामदास उस दिन उदास था
अंत समय आ गया पास था
उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी।

धीरे धीरे चला अकेले
सोचा साथ किसी को ले ले
फिर रह गया, सड़क पर सब थे
सभी मौन थे सभी निहत्थे
सभी जानते थे यह इस दिन उसकी हत्या होगी

खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर
दोनों हाथ पेट पर रखकर
सधे कदम रख करके आए
लोग सिमट कर आँख गड़ाए
लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी

निकल गली से तब हत्यारा
आया उसने नाम पुकारा
हाथ तौलकर चाकू मारा
छूटा लोहू का फव्वारा
कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी

भीड़ ठेलकर लौट गया वह
मरा पड़ा है रामदास यह
देखो देखो बार बार वह
लोग निडर उस जगह खड़े रह
लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था उसकी हत्या होगी।

'हँसो हँसो जल्दी हँसो'

हँसो तुम पर निगाह रखी जा रही है

हँसो अपने पर न हँसना क्योंकि उसकी कड़वाहट
पकड़ ला जाएगी, और तुम मारे जाओगे
ऐसे हँसो कि बहुत खुश न मालूम हो
वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में
शामिल नहीं और मारे जाओगे

हँसते हँसते किसी को जानने न दो
किस पर हँसते हो
सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त
होकर एक अपनापे की हँसी हँसते हो
जैसे सब हँसते हैं बोलने के बजाय

जितनी देर ऊँचा गोल गुंबद गूँजता रहे,
उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से
गूँज थमते थमते फिर हँसना
क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फँसे
अंत में हँसे तो तुम पर सब हँसेंगे
और तुम बच जाओग

हँसो पर चुटकलों से बचो
उनमें शब्द हैं
कहीं उनमें अर्थ न हों जो किसी ने सौ साल पहले कह दिए हों

बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हँसो
ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे

और ऐसे मौकों पर हँसो
जो कि अनिवार्य हो
जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार
जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता
उस गरीब के सिवाय
और वह भी अक्सर हँसता है

हँसो हँसो जल्दी हँसो
इससे पहले कि वह चले जायें
उनसे हाथ मिलाते हुए
नज़रें नीची किये
उनको याद दिलाते हुए हँसो
कि तुम कल भी हँसे थे

'माँ की दुआ'

सुकृति जैन*

माँ की दुआ थी मेरा बंगला होता
माँ की दुआ थी एक बड़ी गाड़ी होती
पर यह न हो पाया
पढ़ लिख न पाया और हाथों में औज़ार थमाया
इस दुनिया ने श्रमिक बनाया

अगर माँ स्कूल की फीस दे पाती
तो मेरे हाथों में भी किताबें आ पातीं
अगर माँ रोटी और किताबों में से किताबें थमाती
तो आज एक अफसर बेटा पाती

पर माँ ने चाहा बेटा पेट भर खाये, चाहे किताबें न उठाए
काश कोई समझा पाता, या एक बार की रोटी दे जाता
तो माँ हँसते हँसते किताबें थमाती मेरे हाथों में
और मैं स्कूल जाता, अफसर बन पाता

पर श्रमिक हुआ तो क्या,
मैं अपने बेटे को रोज़ स्कूल ले जाता हूँ
उसे एक समय की रोटी कम खिलाता हूँ
ताकि मेरा आज उसका कल न बने
और पुस्तकों का महत्व वो भी समझ सके।

* *पब्लिकेशन एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

'लेखनी'

प्रकाश मिश्रा*

लेखनी चिल्ला उठी बोली लिखने वाले को
पहले अंकित करो मेरे आज के विचार को.....2

आहार मिलना चाहिए सभी निराहार को
सहयोग मिलना चाहिए सभी लाचार को
खबर करो गाँव, नगर, संसार को
आधार मिलना चाहिए सभी निराधार को।

जनतंत्र में प्रतिष्ठा हो समय के विचार की
चलने दो चौमुख विकास के विचार को
हाथ पकड़ प्रकाश का बाहर फेंको अंधकार को
खोल दो बंद पड़े आशा के द्वार को।

शांति गीत की धुन बजती रहनी चाहिए
ये देश भारत अपना सजते रहना चाहिए
बनते रहें नित्य नई उपलब्धियों के कीर्तिमान
चर्चा पूरे विश्व में चलती रहनी चाहिए
शांति गीत की धुन बजती रहनी चाहिए
ये देश भारत अपना सजते रहना चाहिए

संकल्प में हो दृढ़ता, आचरण में पवित्रता
विश्वभर की सुख–शांति हेतु
बंधुत्व का बंधन बंधते रहना चाहिए
शांति गीत की धुन बजती रहनी चाहिए
ये देश भारत अपना सजते रहना चाहिए।

चौमुखी विकास हो सब का प्रकाश हो
सफलता हेतु सम्मिलित प्रयास हो
वैचारिक मत–भिन्नता चिंता की बात नहीं, परंतु
आपसी सहमति हेतु चिंतन चलते रहना चाहिए
शांति गीत की धुन बजती रहनी चाहिए
ये देश भारत अपना सजते रहना चाहिए

सब की निजी अस्मिता की रक्षा जरूरी परंतु
देशद्रोह प्रलाप का प्रतिवाद होना चाहिए
मानव को मानवता का ज्ञान होना चाहिए
शांति गीत की धुन बजती रहनी चाहिए
ये देश भारत अपना सजते रहना चाहिए

* *अकाएंट एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

'स्मृति'

कुसुम उपाध्याय*

ये सपनों का शहर आज सहरा सा लगता है
वो दर्दों का दौर आज यहाँ ठहरा लगता है। ये सपनों का..

नया पुराना हर अफसाना, हरपल संग रहता है
ये कोई मुझे मीत मेरे बचपन का लगता है ।1। ये सपनों का..

आँखें नम और लब मुस्कायें ये कैसी मजबूरी
साँसों का आना–जाना बेमानी लगता है ।2। ये सपनों का ..

शबनम की बूँदों ने पूछा आँखों के पानी से
मेरी तरह मिट्टी में मिलना कैसा लगता है ।3। ये सपनों का..

बंजर जमीन बेदम आशा, बोझिल साँसें चलतीं
कितनी दूर अभी मंजिल है, पग–पग पर ये कहतीं

ये राहें एक लम्बा रेत का दरिया लगता है ।4। ये सपनों का..

* *वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान परिसर*

'बेटी हूँ मैं'

मोनिका गुप्ता*

क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, यही सवाल करती हूँ मैं,
लड़की हो, लाचार, मजबूर, बेचारी हो,
यही जवाब सुनती हूँ मैं।
बड़ी हुई, जब समाज की रस्मों को पहचाना,
अपने ही सवाल का जवाब, तब मैंने खुद में ही पाया,
लाचार नहीं, मजबूर नहीं, मैं एक धधकती चिंगारी हूँ,
छेड़ो मत जल जाओगे, दुर्गा और काली हूँ मैं,
परिवार का सम्मान, माँ–बाप का अभिमान हूँ मैं,
औरत के सब रूपों में सबसे प्यारा रूप हूँ मैं,
जिसको माँ ने बड़े प्यार से पाला,
उस माँ की बेटी हूँ मैं, उस माँ की बेटी हूँ मैं।।
सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभिक बीज हूँ मैं,
नये–नये रिश्तों को बनाने वाली रीत हूँ मैं,
रिश्तों को प्यार में बाँधने वाली डोर हूँ मैं,
जिसने हर मुश्किल में संभाला,
उस पिता की बेटी हूँ मैं, उस पिता की बेटी हूँ मैं।।

* *स्टेनो ग्रेड I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

'वसंत'

डॉ. पूनम एस. चौहान*

आया वसंत झूमता मदमाता,
व्योम से धरा तक नूतन रंग बिखेरता।
कवियों की परिकल्पना है,
प्रेमियों की प्रेरणा है वसंत।

विटपों से लिपटी लताएँ नवयौवना सी,
प्रकृति का सौन्दर्य अनुपम।
कल–कल करती झरनों की अठखेलियों सी,
नाचती मयूरी सुन्दरम।

मदिरा बिखेरती नदियाँ,
सुगन्धि बिखेरते पुष्प।
झूमती फूलों की टहनियाँ,
चहुँ ओर उन्मादित पुष्पगुच्छ।

नीले अम्बर पर बिखरी लालिमा,
मन्द–मन्द निकलता सूर्य।

वृक्षों पे गिरती सुनहरी ऊष्मा,
अम्बर से धरा को गर्माता सूर्य।

देखो तो तुम्हारी महिमा ऋतुराज,
पेड़ों की ओर से झांकती चाँदनी।
चकोरी के हृदय में रागिनी और,
प्रेयसी प्रियतम को गुदगुदाती चाँदनी।

पंछियों के गीत औ सरगम,
सुनकर नव वस्त्र धारण किये वृक्ष इठलाते।
कोयल की पीहू–पीहू औ भँवरों की गुंजन,
कानों में रस घोलते मन मोह जाते।

ऋतुओं के राजा वसंत,
प्रकृति को संवारता वसंत।
खिलता गुलाब सा वसंत,
मानव हृदय में उमंगे भरता वसंत।

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

अब जाए 'तीन तलाक'

राजेश कुमार कर्ण*

प्रायः हर जाति, धर्म एवं समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों एवं उचित सम्मान से वंचित रखा गया है। भारत में महिलाओं की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति शुरू से ही कमजोर रही है। खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में स्थिति मुस्लिम महिलाओं के हितों के प्रतिकूल है। मुस्लिम समाज तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह के कारण चर्चा में है। महिला सशक्तिकरण के खिलाफ होने के कारण इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। अब इन महिला विरोधी परंपराओं को न्याय की कसौटी एवं मानवाधिकार पर खरा उतरना ही होगा।

पति–पत्नी के बीच का रिश्ता काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। जब एक पुरुष और स्त्री विवाह के बंधन में बंधते हैं और साथ रहना शुरू करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि उनके बीच कुछ मामलों में असहमति होगी एवं इसके परिणामस्वरूप मतभेद भी पैदा होंगे। अगर पत्नी की कोई बात पसंद नहीं आई तो पति द्वारा एक बार में 'तलाक तलाक तलाक' बोलकर उसे छोड़ देना कहीं से भी ठीक नहीं है। तीन तलाक खुदा एवं कुरान को नापसंद है। हजरत मुहम्मद साहब के अनुसार ''जो सब चीजें खुदा ने करने की अनुमति दी है उनमें से सबसे घृणित तलाक है।'' मुहम्मद साहब के इंतकाल के कुछ सालों बाद जब तीन बार तलाक कहने को वैध बना दिया गया, तो उस समय इसको लागू करने वाले को 40 कोड़ों की सजा दी गई थी। पति–पत्नी में अगर कोई मतभेद है तो कुरान में दोनों के परिवार में मध्यस्थता, पति–पत्नी के बीच संवाद और सुलह पर जोर दिया गया है। कुरान में कहा गया है कि जहां तक संभव हो, तलाक न दिया जाए। यदि तलाक देना जरूरी हो जाए तो कम से कम इसकी प्रक्रिया न्यायिक हो, एक साथ तीन तलाक नहीं कहा जा सकता, एक तलाक के बाद दूसरा तलाक बोलने के बीच लगभग एक महीने का अंतर होना चाहिए, इसी तरह का अंतर दूसरे और तीसरे तलाक के बीच होना चाहिए ताकि आखिरी समय तक सुलह की गुंजाईश बनी रहे। तमाम पारिवारिक एवं सामाजिक सुलह कोशिशों के नाकाम होने पर ही एक दूसरे से अलग होने की इजाजत है। पति को मेहर की राशि एवं तलाक से पहले पत्नी को जो गहने, कीमती सामान, रुपए या कोई जायदाद तोहफे के तौर पर दिए थे वह देकर पत्नी को विदा करना होता है। पति के लिए इसे वापस मांगना या लेना या इसके लिए दवाब बनाना बिल्कुल नाजायज है।

कुरान में तलाक की प्रक्रिया को जानबूझकर कठिन बनाया गया है ताकि तलाक लेने से पहले लोग हजार बार सोचें किंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ इसे बेहद सरल बनाए हुए है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक कोई पति अपनी पत्नी को एक साथ तीन बार तलाक बोल दे तो उसका तलाक हो जाता है, चाहे वह गुस्से और नशे में ही क्यों न हो। फोन पर, एसएमएस, ई–मेल, साधारण या रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी भेजकर, इंटरनेट पर चैटिंग के जरिए या किसी अन्य से भी कहलवाकर तलाक दिया जा सकता है (स्रोतः दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट)। तलाक की इस सरलता का दुरुपयोग करते हुए कुछ मुस्लिम पुरुष उपरोक्त जरिए से छोटी–छोटी बातों पर जैसे सब्जी में ज्यादा नमक–मिर्ची, आधुनिक पहनावा, बच्चों की टट्टी तुरत साफ न होने आदि या लड़की के पैदा होने के बहाने बेहिचक अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और मुस्लिम महिलाएं इसको मानने के लिए बाध्य है। वे न इसे नकार सकती हैं और न ही इसे किसी कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। वे काज़ी के पास जाती हैं तो प्रायः काज़ी भी न तो कोई तफ्तीश करते हैं और न ही

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

पुरुष से कोई सबूत मांगते हैं, वे एकतरफा तलाक को जायज ठहरा देते हैं। चाहे पुरुष हो या महिला, किसी को भी तीन तलाक के जरिए रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, शादी कोई गुड्डे–गुड़िया का खेल तो नहीं है।

तलाकशुदा होना अपने आप में भारत में अभिशाप माना जाता है। भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार कुल 2,12,074 मुस्लिम महिलाएं तलाकशुदा हैं एवं इससे भी ज्यादा 2,87,618 बिना तलाक के अलग रह रही हैं। तलाक के बाद ये महिलाएं बच्चों सहित घर से निकाल दी जाती हैं। बीएमएमए सर्वे (21 अगस्त, 2015) के अनुसार 50% मुस्लिम महिलाओं को मेहर एवं 40% को ज्वेलरी तलाक के बाद नहीं मिलती, 59% को बिना कारण बताए तलाक मिलता है, 55% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, 44% तलाकशुदा महिलाओं की उम्र 20–24 साल है, 78% महिलाएं गृहिणी हैं एवं 81% महिलाओं को उच्च शिक्षा नहीं मिली है। मात्र 2.5% मुस्लिम महिलाएं ही ग्रेजुएट हैं। उनकी अशिक्षा की सबसे बड़ी वजह है उनका पिछड़ापन। इन आंकड़ों से उनकी बदहाली का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सच है कि मुस्लिमों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरक्की के लिए देश के चारो स्तंभों– कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया को जो काम करने चाहिए थे, वे नहीं किए गए हैं। सरकार की बनाई खुद की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ही कहती है कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति दलितों से भी दयनीय है। इसलिए मुस्लिमों की समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुसीबत की इस घड़ी में मायके से मदद का भरोसा होता है किंतु अशिक्षा एवं गरीबी के कारण वहां से भी उसे प्रायः पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है। कामकाजी महिलाएं तो अपने अथक प्रयास से तलाक की इस पीड़ा से थोड़ा–बहुत उबर भी जाती हैं किंतु पति पर पूरी तरह निर्भर और बाल–बच्चेदार महिलाओं के लिए तीन तलाक की तासीर ऐसी होती है जो उसे जिंदा लाश बना देती है और उन्हें अपने कई सपनों को भुला देने के लिए बाध्य करती है। उनके बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों में गैर–कानूनी एवं आपराधिक प्रवृत्ति ज्यादा पनपने की संभावना रहती है। जबकि पुरुष दूसरी शादी करके आराम से रहता है क्योंकि इस्लाम में चार शादी की इजाजत है। तलाक देने के साथ ही वह पत्नी एवं बच्चों के पालन–पोषण की जिम्मेदारी से भी अक्सर बच जाता है। बस मेहर देना जरूरी होता है, वह भी प्रायः पूरी नहीं देनी पड़ती क्योंकि तलाकनामा बनाने वाले कुछ काज़ी चंद रुपए के लालच में 'मेहर अदा की गई' भी उसमें जोड़ देते हैं। कुछ पुरुष मेहर से बचने के लिए पहली पत्नी को तलाक नहीं देते और दूसरी शादी भी कर लेते हैं। इस तरह वे दोनों शादियों का मजा लेते हैं। बहुपत्नी प्रथा मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति बना देती है।

मुस्लिम महिलाएं चाहकर भी एक वक्त में तीन तलाक नहीं दे सकतीं। उन्हें तलाक के लिए कारण बताना पड़ता है, उस पर मौलवी विचार करते हैं कि यह जायज है या नहीं। पुरुष की नपुंसकता, पागलपन, क्रूर व्यवहार की स्थिति में महिलाओं को तलाक की इजाजत है किंतु इसे साबित करना प्रायः असंभव होता है। कुछ चालाक पुरुष मेहर देने से बचने के लिए तलाक नहीं देते बल्कि पत्नी को बहुत परेशान करने लगते हैं और उनके अत्याचार से हारकर अंततः पत्नी को मेहर की रकम में और रकम जोड़कर उसे पति को देनी होती है और अपने लिए तलाक खरीदनी पड़ती है। इतना करने के बाद भी 'तलाक, तलाक, तलाक' कहता पुरुष ही है, महिला नहीं।

तलाक के बाद यदि पति को अपनी गलती का अहसास हो जाए एवं वह पुनः अपनी तलाकशुदा पत्नी को अपनाना चाहे तो यह जरूरी है कि पहले वह महिला किसी अन्य पुरुष से शादी करे, उससे जिस्मानी रिश्ते बनाए एवं बाद में उस महिला को उस पुरुष से तलाक मिल जाए या वह मर जाए। यह सभी काम यदि जान–बूझकर होता है तो हराम है किंतु कुछ काज़ी चंद रुपए के लालच में इसे अंजाम देते हैं जिसे 'निकाह–ए–हलाला' कहते हैं। यह तरीका महिलाओं के साथ बलात्कार की स्वीकृति, व्यभिचार एवं जुल्म है।

तीन तलाक, बहुविवाह एवं हलाला में मुस्लिम महिलाओं का जबर्दस्त शोषण होता है। यह उनके प्रति निर्मम, क्रूरता, अमानवीय, असम्मानजनक, अकुरानिक है एवं लैंगिक न्याय और समानता के विरुद्ध होने के कारण

असंवैधानिक भी है। मुस्लिम महिलाएं क्या इंसान नहीं हैं? आजादी के 69 वर्षों बाद भी महिला विरोधी परंपराएं जारी हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। इसपर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इस्लाम में शादी जन्म–जन्मांतर का बंधन नहीं होता बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में महिला और पुरुष बराबर नहीं हैं, इसलिए यह भारतीय संविधान के विरुद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत हर भारतीय को क्रमशः समानता, धर्म–जाति–लिंग के आधार पर भेद को रोकने, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और धर्म की आजादी का अधिकार मिला हुआ है। किंतु तीन तलाक, बहुविवाह एवं हलाला के जरिए मुस्लिम महिलाओं के इन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ के इन प्रावधानों को चुनौती दी है। मुस्लिम महिलाओं के अंदर वक्त के साथ चलने की एक नवजागृत चेतना उभरी है और वह मुस्लिम पर्सनल लॉ में अपने लिए सम्मान की जिंदगी चाहती है। समय–समय पर गुजरात, इलाहाबाद, केरल हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अनुचित तो बताया है पर खारिज नहीं किया। इसलिए काज़ियों का मनमाना रवैया चलता आ रहा है। कुछ काज़ी सेलेक्टिवली कुरान, मुस्लिम पर्सनल लॉ, प्रथा, संविधान की व्याख्या अपने हित के अनुरूप करते हैं, इससे महिलाओं का तो शोषण हो ही रहा है, इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। कितने शर्म की बात है कि पुरुष औरत के पेट से ही जन्म लेता है किंतु बड़ा होकर उसे ही कंट्रोल करता है ताकि उसका मनमुताबिक शोषण कर सके। किसी भी महिलाओं के अधिकारों को सीमित करके, उनके संसाधनों पर नियंत्रण लगाकर पुरुष अंततः अपना ही नुकसान करते हैं।

तमाम देशों की संस्थाओं, गांव से लेकर शहरों तक तमाम आफिसों को महिलाओं के हिसाब से कानून बदलने पड़ रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, सिर्फ भारत में इसको लेकर हठधर्मिता है। इस बदलाव को समझें कट्टरपंथी लोग। कट्टरपंथिता से किसी का भला हुआ है क्या? दुनिया के 33 देशों में तीन तलाक बंद है जिसमें 22 इस्लामिक देश हैं, लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश 'भारत' में यह आज भी यह बदस्तूर जारी है। भारत में बहुविवाह जारी है जबकि कई मुस्लिम देशों ने एक विवाह का नियम बना लिया है। यद्यपि मुस्लिम महिलाओं को एक तिहाई संपत्ति पर अधिकार दिया गया है किंतु वह भी कागजी निकला। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण–पोषण प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया था कि अपनी तलाकशुदा पांच बच्चों वाली 69 वर्षीय पत्नी शाहबानो को 179 रुपए 20 पैसे प्रतिमाह का गुजारा भत्ता दे। कट्टरपंथी मुस्लिमों ने इसका विरोध किया और तत्कालीन केन्द्र सरकार ने संसद से कानून पास करवाकर वर्ष 1986 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।

अब देश में इन महिला विरोधी परंपराओं के खिलाफ माहौल बनने लगा है। मजहबी संगठनों के कड़े विरोध के बावजूद मुस्लिम महिलाओं का संघर्ष अब रंग लाने लगा है, लेकिन क्या यह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की एवं केन्द्र सरकार से महिलाओं की स्थिति पर राजपूत कमिटी की सिफारिशों को सार्वजनिक करने को कहा। इन सिफारिशों में पर्सनल लॉ के नाम पर महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर चलने वाली परंपराओं को बंद करने की बात थी। इसी के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने 7 अक्तूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया जिसमें इन परंपराओं को संविधान के खिलाफ बताया एवं लैंगिक आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए पर्सनल लॉ को एग्जामिन करने की बात कही है। केन्द्र सरकार ने हलफनामा में ठीक ही कहा है कि, ''तीन तलाक के प्रावधान को संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत एक सेक्युलर देश है। यहां लैंगिक समानता और महिलाओं के मान–सम्मान के साथ समझौता नहीं हो सकता।...भारत यूएन के फाउंडर मेंबर्स में से एक है और यूएन चार्टर से बंधा है। उसके प्रस्तावना में लैंगिक समानता को 'ह्यूमन राइट्स' माना गया है।..पर्सनल लॉ का अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर कोई भी कानून मूल अधिकार के संदर्भ में असंगत है तो वह खारिज होता है। जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल है तो अनुच्छेद 25 इसकी बात करता है। लेकिन तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथा धर्म का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अनुच्छेद 25 के तहत इन्हें संरक्षित नहीं किया जा सकता।'' मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि तीन तलाक सदियों से चला आ रहा है और यह हमारे धार्मिक अधिकारों का हिस्सा है। उन्होंने इसे धार्मिक नियम बताते हुए बदलाव का विरोध किया है। उनके अनुसार सरकार को मजहब में

हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हलफनामे में कहा है कि, ''पर्सनल लॉ को चुनौती देना संविधान का उल्लंघन है।... सोशल रिफार्म के नाम पर इसे दोबारा नहीं लिखा जा सकता। पर्सनल लॉ को संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफार्म सिविल कोड की बात है लेकिन वह बाध्यकारी नहीं है।'' सच तो यह है कि सरकार को अपने नागरिकों को शोषण से बचाने का पूरा अधिकार है। केन्द्र सरकार का हलफनामा सरकार के संवैधानिक दायित्व के अनुसार सही कदम है।

इन गलत परंपराओं से पीड़ित महिलाएं न केवल मुस्लिम समाज का अभिन्न अंग हैं बल्कि इस देश की सम्मानित नागरिक भी हैं। उनके अपने संवैधानिक अधिकार हैं, जिनसे उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सी पढ़ी–लिखी और जागरूक मुस्लिम महिलाएं एवं कुछ प्रगतिशील पुरुष इन परंपराओं का विरोध कर रहे हैं और मीडिया में भी अपनी बातें मजबूती से रख रहे हैं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के एक सर्वे में लगभग 93% मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक पर रोक लगाने की बात कह चुकी हैं एवं 92% मुस्लिम महिलाएं कोर्ट के माध्यम से तलाक का फैसला चाहती हैं। बिना सुनवाई के चाहे एक बार में तलाक दी जाए या तीन महीने में दी जाए, महिलाओं के प्रति ज्यादती है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं सब ज्यादतियों को देखते हुए यह आवाज उठा चुकी है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो सकता है? सभी महिलाओं को एकजुट होकर अपने प्रति किसी भी अन्याय का विरोध करना चाहिए, जैसा कि शायर ताहिर फ़राज रामपुरी ने लिखा है– 'हर बात की एक हद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है।' कट्टरपंथी लोगों को यह जरूर सोचना चाहिए कि वे धर्म के नाम पर कब तक ज्यादतियों की इजाजत देते रहेंगे? आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष की बराबरी कर रही है, तो धर्म के भीतर उनके साथ भेदभाव क्यों? स्त्रियों–पुरुषों के बीच समानता का किसी भी धर्म से अनिवार्य विरोध नहीं है। बराबरी के लिए जरूरी है भिन्नताओं का सम्मान, स्त्री–पुरुष भिन्न हैं, विपरीत नहीं। अगर समाज में कोई कुरीति प्रचलित हो गई तो सबका भला उससे मुक्ति पाने में होता है न कि धर्म की आड़ देकर उसे बनाए रखने में।

सरकार को भी अविलंब महिला विरोधी परंपराओं को रद्द कर ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे मुस्लिम महिलाएं गरिमामय जिंदगी जी सकें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों को 'कानून का समान संरक्षण' देता है। भारत में मुसलमान क्रिमिनल लॉ सहित सभी भारतीय कानूनों को स्वीकारते हैं, कहीं अड़े नहीं किंतु पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग अंग्रेजों द्वारा बनाई गई मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, जिसके एक छोटे सेक्शन में तीन तलाक की व्यवस्था है, के पक्ष में डटे हुए हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाये गए इस कानून को बदलने की जरूरत है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रथागत (कस्टमरी) कानून है और काज़ी उसकी गलत व्याख्या करते रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर तमाम धर्मों के पर्सनल लॉ कोडिफाई हैं। सांविधानिक तरीके से संसद द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी कोडिफाई किया जाना आवश्यक है। यह तो भारतीय संविधान को ही तलाक है। संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनके बीच और धार्मिक नियमों के बीच विरोध नहीं बल्कि तालमेल होना चाहिए। काज़ी मुस्लिम पर्सनल लॉ को संविधान से ऊपर बताकर तलाक के मज़हबी तरीके को सही ठहरा रहे हैं। जबकि संविधान सर्वोच्च है, पर्सनल लॉ एवं मजहब से भी ऊपर है। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि, ''माताओं–बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, सम्प्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।... हिन्दुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों और समाज की जिम्मेदारी होती है।... इस देश में मुस्लिम बहनों को भी तीन तलाक कहकर बर्बाद करने वाले लोगों को आज के युग में ऐसा करने का मौका नहीं दिया जा सकता, इन माताओं–बहनों की रक्षा करनी होगी।'' अब जब प्रधान मंत्री जी के मुख से महिला विरोधी परंपराओं को खत्म करने की बात निकली है तो यह जरूर मंजिल तक जाएगी। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, 11 मई 2017 से सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ सुनवाई करेगी। उम्मीद है कि यथाशीघ्र सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला देगी एवं केन्द्र सरकार संसद के माध्यम से कानून बनाकर इन परंपराओं को खत्म करेगी। देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए, जो औरतों को इंसाफ देता हो।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2016 का आयोजन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 14–30 सितंबर 2016 के दौरान हिंदी पखवाड़ा – 2016 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। 14 सितंबर 2016 को हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ पर संस्थान के महानिदेशक श्री मनीष कुमार गुप्ता ने सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थान में पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री बीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा दी गयी।

हिंदी पखवाड़े के दौरान कुल सात प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं तथा इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 44 लोगों ने हिस्सा लिया। हिंदी टंकण अथवा वर्तनी एवं वर्ग पहेली प्रतियोगिता में श्री राजेश कुमार कर्ण ने प्रथम, श्री नरेश कुमार ने द्वितीय एवं श्री ए. के. श्रीवास्तव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सस्वर काव्य पाठ/गीत/गजल प्रतियोगिता में डॉ. एलीना सामंतराय ने प्रथम, श्री सतीश कुमार ने द्वितीय एवं डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सामान्य टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्री राजेश कुमार कर्ण ने प्रथम, श्रीमती मोनिका गुप्ता ने द्वितीय एवं श्री मदन लाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सुलेख एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता में श्री हरीश सिंह ने प्रथम, श्री सत्यवान ने द्वितीय एवं श्री कृष्ण कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध एवं पत्र–लेखन प्रतियोगिता में डॉ. शशि तोमर ने प्रथम, श्री ए. के. श्रीवास्तव ने द्वितीय एवं श्री मदन लाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में डॉ. एलीना सामंतराय ने प्रथम, श्रीमती सुधा गणेश ने द्वितीय एवं डॉ. किंगशुक सरकार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। त्वरित भाषण प्रतियोगिता में प्रकाश मिश्रा ने प्रथम, श्रीमती सुधा वोहरा ने द्वितीय एवं श्रीमती राजेश्वरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में श्रीमती मोनिका गुप्ता ने प्रथम, श्री नरेश कुमार ने द्वितीय एवं सुश्री निशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया था।

संस्थान द्वारा 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक (ग्रेड ए–1) प्राप्त करने पर कु. कृतिका भारद्वाज सुपुत्री श्रीमती रंजना भारद्वाज को हिंदी प्रतिभा पुरस्कार प्रदान किया गया। राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी पुरस्कार दिए गए। ये सभी पुरस्कार हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर संस्थान के महानिदेशक श्री मनीष कुमार गुप्ता द्वारा प्रदान किए गए। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार रखे तथा सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया।

हिंदी पखवाड़ा–2016 के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करते हुए संस्थान के कर्मचारीगण

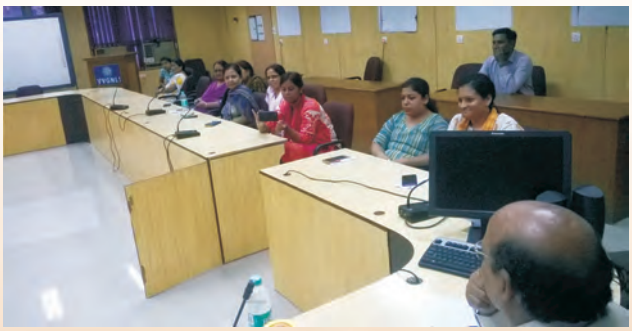

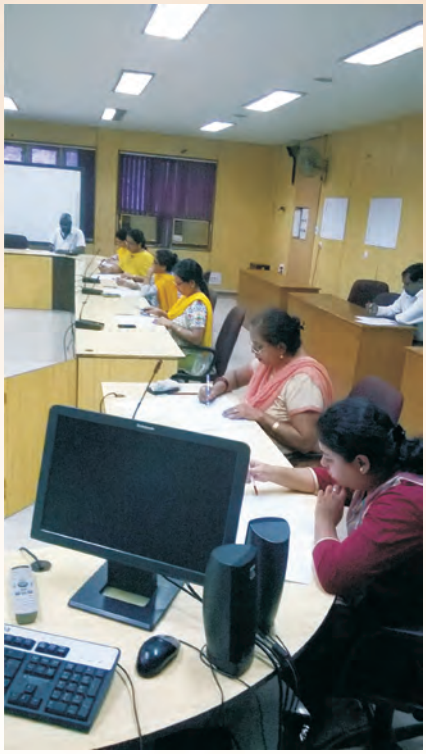

'मेरे पापा'

डॉ. पूनम एस. चौहान*

मेरे जीवन का आधार,
बनाने वाले आप हैं पापा।
मेरे सुखमय बचपन के लिए
आपने अपने उज्ज्वल भविष्य
का परित्याग किया, पापा।
मेरे होंठों पर हँसी लाने
आपने अथक परिश्रम किया, पापा।

आप ही ने संस्कारों से सजाया मुझे
उंगली थाम कर चलना सिखाया मुझे
आप ही ने आचार–व्यवहार सिखाया मुझे
माँ सरस्वती के चरणों को चूमना सिखाया मुझे।

माँ ने प्यार का आँचल उढ़ाया
तो अपने अपनी गोदी में झुलाया
माँ ने कोमल स्पर्श दिया
तो आपने मुझमें आत्मविश्वास जगाया

पढना–लिखना और सिखाया अनुशासन
साथ–साथ इंसानियत का पाठ भी पढाया
ऊँच नीच के भेद मिटा कर साफ किया तन–मन
सही और गलत में फर्क करना सिखाया।

आपके ज्ञान का जग ने लोहा माना
आपका काम औरों के लिए उदाहरण बना
आपका सम्मान, हम सभी की मुस्कान का आधार बना

जब भी होती है मेरे काम की प्रशंसा
मेरी आँखों में आपका ही अक्स आता है
जैसे हो रही हो आपकी ही प्रशंसा
माता–पिता के आशीष से ही जीवन में सौभाग्य आता है

ईश्वर की असीम कृपा से मैं आपकी पुत्री बनी
धन्यवाद है प्रभु को, मेरे रोम–रोम से
आप से ही मैं बनी जीवन में धनी।

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

कुत्ते की पूँछ

यशपाल

हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कहानीकार यशपाल की कहानी *कुत्ते की पूँछ* बाल श्रम के विरोध में लिखी गई उनकी एक उल्लेखनीय कहानी है। साथ ही इसमें समाज के मध्यम वर्ग की सोच का चित्रण बड़े ही सुदर ढंग से किया गया है। मध्यवर्ग की सोच की सबसे बड़ी सीमा यह है कि निम्न वर्ग के प्रति उसकी सारी कथित करुणा एवं मानवता एक दिखावा होती है तथा दूसरी बहुत–सी चीजों की तरह उनके लिए यह वर्ग भी सजावट की एक चीज होती है। मध्यवर्ग अपने स्वार्थ और झूठे मूल्यों की बदौलत किस तरह अमानवीय एवं खोखला होता जा रहा है, प्रस्तुत है इसे खूबसूरती के साथ प्रदर्शित करती हुई *कुत्ते की पूँछ* कहानीः–

श्रीमती जी कई दिन से कह रही थीं: 'उल्टी बयार' फिल्म की बहुत चर्चा है, देख लेते तो अच्छा था।

फिल्म देख लेने से एतराज न था परंतु सिनेमा शुरु होने के समय अर्थात साढ़े छह बजे तक तो दफ्तर के काम से छुट्टी नहीं मिल पाती। दूसरे शो में जाने का मतलब होता है–बहुत देर से सोना, नींद पूरी न होना, अगले दिन काम ठीक से न कर सकना लेकिन अब 'उल्टी बयार' को सातवाँ हफ्ता लग गया तो मान लेना पड़ा कि फिल्म अवश्य ही देखने लायक होगी।

रात साढ़े बारह बजे सिनेमा हॉल से निकलने पर ताँगे का दर बढ़ जाता है। आने–दो आने में कुछ बन–बिगड़ नहीं जाता लेकिन ताँगे वाले के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा–नहीं, पैदल ही चलेंगे। चाँदनी रात है। गनीमत से चार कदम चलने का मौका मिला है।

उजली चाँदनी में सूनी सड़क पर सामने चलती जाती अपनी बौनी परछाई पर कदम रखते हुए चले जा रहे थे। जिक्र था, फिल्म में कहाँ तक स्वाभाविकता थी और कितनी कला थी। स्त्रियों से भी कला के विषय में बात की जा सकती है, खासकर जब परिचय नया हो परंतु स्वयं अपनी स्त्री से, जिसे आदमी रग–रोयें से पहचानता हो बहस या विचार–विनिमय में क्या रस।

श्रीमती जी को शिकायत है, मैं सब तरह के लोगों से बहस करता हूँ, उनसे कभी विचार–विनिमय नहीं करता। मैं उन्हें किसी योग्य नहीं समझता। इस अभियोग का बहुत माकूल उत्तर हैः जिस व्यक्ति से विचारों की पूर्ण एकता हो, उससे बहस कैसी?

मेरे उत्तर से श्रीमती जी का कुछ दिन तक संतोष रहा कि चतुर समझे जाने वाले पति से विचारों की समता के कारण वे भी चतुर हैं परंतु दूसरों पर बहस की संगीन चला सकने के लिए पति नाम के रेत के बोरे पर कुछ अभ्यास करना भी तो जरूरी होता है, इसलिए एक दिन खीझ कर बोलीं, ''बहस न सही, आदमी बात तो करता है। हमसे कभी कोई बात भी नहीं करता।''

उस समय पति होने का टैक्स चुकाने के लिए अपनी स्त्री के साथ कला का जिक्र कर चाँदनी रात का खून हो रहा था। मैं कह रहा था और वे हूँ–हूँ कर हामी भर रही थीं। अचानक वे बोल उठीं, ''अरे यह देखो!''

पत्नी के संकेत से देखा।

हलवाई की छोटी–सी दुकान थी। सौदा उठ चुका था। बिजली का एक बल्ब अभी जल रहा था। लाला दुकान के तख्त पर चिलम उलट कर दीवार से लगे ऊँघ रहे थे। दुकान के साथ सड़क पर कढ़ाई ईंट के सहारे अड़ी हुई टिकी थी। कढ़ाई माँजने के प्रयत्न में एक छोटी उम्र का लड़का कढ़ाई में ही सो गया था। कालिख से भरा जूना उसके हाथ में था और उसकी बाँह फैली हुई थी। दूसरा हाथ कढ़ाई के कड़े को थामे था। कढ़ाई को घिसते–घिसते लड़का ऊँघ गया और फैली हुई बाँह पर सिर रख सो गया।

एक कुत्ता कढ़ाई के किनारे लगी हुई मलाई को चाट रहा था। मैं परिस्थिति समझने का प्रयत्न कर रहा था। श्रीमती जी ने पिघले हुए स्वर में क्रोध से कहा, ''देखते हो जुल्म!.....क्या तो बच्चे की उम्र है और रात के एक बजे तक यह कढ़ाई, जिसे वह हिला नहीं सकता, उससे मँजाई जा रही है।''

श्रीमती जी मेरी बाँह में बाँह में डाले हुए हाथ पर बोझ दे कढ़ाई पर झुक गयीं और लड़के की बाँह को हिला उसे पुचकार कर उठाने लगीं।

लड़का नींद से चौंक कर झपाटे से कढ़ाई में जूने के रगड़े लगाने लगा परंतु श्रीमती जी के पुकारने से उसने नींद भरी आँख उठाकर उनकी ओर देखा।

श्रीमती जी बोलीं, ''हाय, कैसे पत्थरदिल होते हैं जो इस उम्र के बच्चों को इस तरह बेच डालते हैं और इस राक्षस को देखो, बच्चे को मेहनत पर लगा खुद सो रहा है।'' श्रीमती जी बच्चे को पुचकार कर साथ चलने के लिए पुकारने लगीं।

इस गुल–गपाड़े से लाला की आँख खुल गयी। नींद से भरी लाल आँखों को झपकाते हुए लाला देखने लगे पर इससे पहले कि वे कुछ समझें या बोल पायें, श्रीमती जी लड़के का हाथ थाम ले चलीं। फिल्म और कला की चर्चा श्रीमती की करुणा एवं क्रोध के प्रवाह में डूब गयी।

कानूनी पेशा होने के कारण कानून की जद का ख्याल आया। श्रीमती जी को समझाया, ''कम उम्र बच्चे को उसके माँ–बाप की अनुमति बिना इस प्रकार खींच ले जाने से पुलिस के झंझट में पड़ना होगा।''

राजा और समाज के कानून से जबरदस्त कानून है स्त्रियों का। पति को बिना किसी हीलो–हुज्जत के पत्नी के सब हुकुम मानने ही पड़ते हैं। श्रीमती जी ने अपना कानून अड़ा कर कहा, ''इसके माँ–बाप आकर ले जायेंगे। हम कोई लड़के को भगाये थोड़े ही लिए जा रहे हैं। बच्चे पर इस तरह जुल्म करने का किसी को क्या हक है? यह भी कोई कानून है?''

लाला आँखे झपकाते रहे और हम उस लड़के को लिये चले आये। लाला बोले क्यों नहीं, कह नहीं सकता। शायद कोई बड़ा सरकारी अफसर समझ कर चुप रह गये हों।

लड़के से पूछने पर मालूम हुआ कि दरअसल उसके माँ–बाप नहीं थे, मर गये थे। उसका कोई दूर का रिश्तेदार उसे लाला के यहाँ छोड़ गया था।

दूसरे रोज लाला मकान के अहाते में हाजिर हुए और बोले कि यों तो आप माई–बाप हैं लेकिन यह मेम साहब की ज्यादती है। लड़के के बाप की तरफ लाला के साठ रुपये आते थे। वह मर गया। लाला उलटे अपनी गाँठ से लड़के को खिला–पहना कर पाल–पोस रहे थे। लड़के की उमर ही क्या है कि कुछ काम करेगा? ऐसे ही दुकान पर चीज धर–उठा देता था सो मेम साहब उसे भी उठा ले आयीं। लाला बेचारे पर जुल्म ही जुल्म था। उन्हें उनके साठ रुपये मिल जाते, सूद वे छोड़ने को तैयार थे या फिर लड़का ही उनके पास रहता।

श्रीमती ने बरामदे के फर्श पर जूते की ऊँची एड़ी पटक, भौं चढ़ाकर कहा, ''ऑल राइट!'' इसके बाद शायद वे कहना चाहती थीं कि साठ रुपये ले जाओ।

परिस्थिति नाजुक देख बीच में बोलना पड़ा, ''लाला, जो भी हुआ, अब चले जाओ वर्ना लड़का भगाने और क्रुएल्टी टू चिल्ड्रेन (बच्चों से निर्दयता) के जुर्म में गिरफ्तार हो जाओगे।'' अहाते के बाहर जाते हुए लाला की पीठ से नजर उठाकर श्रीमती जी ने विजय गर्व से मेरी ओर देखा। उनका अभिप्राय था–देखो, तुम खामुखाह डर रहे थे। हमने कैसे सब मामला ठीक कर लिया, तुम कुछ भी समझ नहीं सकते!

लड़के का नाम था हरुआ। श्रीमती जी ने कहा–यह नाम ठीक नहीं। नाम होना चाहिए हरीश। लड़के की कमर पर केवल एक अँगोछा मात्र था, शेष शरीर पर था मैल का आवरण। सिर के बाल गर्दन और कानों पर लटक रहे थे।

हरीश के शरीर का मैल साबुन की झाग में घुल–घुल कर बह गया। वह साँवला–सलोना बालक निकल आया। दरबान के साथ सैलून में भेजकर उसके बाल भी छँटवा दिये गये। बिशू के कपड़े भी हरीश के काम आ सकते थे परंतु लड़कों में चार बरस का अंतर काफी होता है। खैर, हफ्ते भर में हरीश के लिए भी नेवीकट कॉलर के तीन कमीज और नेकर सिल गये। उसके असुविधा अनुभव करने पर भी उसे जुराब और जूता पहनना पड़ा। श्रीमती जी ने गंभीरता से कहा, ''उसके शरीर में भी वैसा ही रक्त–मांस है जैसा कि और किसी के शरीर में!'' उसका अभिप्राय था, अपने पेट के लड़के बिशू से परंतु बिशू आखिर पुत्र तो मेरा भी था।

श्रीमती जी ने कहा, ''इस लड़के के भी दिमाग है। यह भी मनुष्य का बच्चा है और इसे मनुष्य बनाना भी हमारा कर्तव्य है।''

हरीश कोई अच्छा काम कर देता तो प्रसन्नता के साथ वे मुझे सुनातीं, ''लड़के में स्वाभाविक प्रतिभा है। यदि इसे अवसर मिले तो वह क्या नहीं कर सकेगा। हाँ, उस मजूदर का क्या नाम था जो अमेरिका का प्रेजीडेंट बन गया था? मौका मिले तो आदमी उन्नति क्यों नहीं कर सकता।''

चार वर्ष के बच्चों में भी स्थिति का गर्व, श्रेणी–विशिष्टता का भाव रहता है। बिशू नीची स्थिति के बालक को अपने समान अधिकार जमाते देख, अपनी माँ को उसके

सिर पर हाथ फेरते देख ईर्ष्या से खिन्न हो जाता। वह रोनी सूरत बनाकर होंठ लटका लेता या हरीश को मार बैठता। श्रीमती जी को बिशू के व्यवहार से गरीबी और मनुष्यता का अपमान जान पड़ता।

श्रीमती जी गंभीरता से बिशू को अन्याय करने से रोकतीं। हरीश का साहस बढ़ाकर उसे अपने आपको किसी से कम न समझने का उपदेश देतीं। हरीश बात–बात में सहमता, सकपकाता। पास बैठने के बजाय दूर रहता। उसकी आँखों में बिशू के खिलौनों के लिए लोभ झलकता रहता। श्रीमती जी उसका साहस बढ़ाकर उसे बिशू के साथ समानता के दर्जे पर लाने का प्रयत्न करतीं। कई दफे उन्होंने शिकायत की कि मेरे स्वर में हरीश के लिए बिशू की तरह अपनापन क्यों नहीं आ पाता। श्रीमती जी की बहस में कानून का हवाला या जिरह उपयोगी नहीं हो सकती थी, इसलिए चुप रह जाता।

हरीश के प्रति सहानुभूति और उसे मनुष्य बनाने की इच्छा रखते हुए भी मैं श्रीमती जी को अपनी सद्भावना का विश्वास न दिला सका। हरीश के प्रति उनकी वत्सलता और प्रेम मेरी पहुँच से कुछ ऊँचा ही रहता।

श्रीमती जी को शिकायत थी कि हरीश आकर, अधिकार से उनके पास जरूरत की चीज के लिए क्यों नहीं जिद करता? उन्हें ख्याल था कि इस सबका कारण मेरा भय ही था।

एक दिन बुद्धिमानी और गहरी सूझ की बात करने के लिए उन्होंने सुना कर कहा – पुरुष सिद्धांत और तर्क की लंबी–लंबी बातें कर सकते हैं परंतु हृदय को खोलकर फैला देना उनके लिए कठिन होता है। सोचा – श्रीमती जी को सहृदय होने की सफलता के लिए, उन्हें अपने हृदय की विशालता अनुभव करने के लिए मैं सहायता नहीं दे पाता हूँ, यही मेरा कसूर है।

एक रियासत के मुकदमे में सोहराब जी का जूनियर बनकर केदारपुर जाना पड़ा। उम्र बढ़ जाने पर प्रणय का आकर्षण तो उतना तीव्र नहीं रहता पर घर की याद जवानी से भी अधिक सताती है। कारण है शरीर का अभ्यास। समय और स्थान पर आवश्यकता की वस्तु का सहज मिल जाना घर से बाहर नहीं हो सकता, न निश्चिंतता की ढील का संतोष।

केदारपुर में रुकना पड़ा चार मास। औसत आमदनी से अढ़ाई गुना आमदनी के उत्साह ने सब असुविधाओं को परास्त कर दिया। घर से संबंध था केवल श्रीमती जी के पत्र द्वारा। कभी सप्ताह में एक पत्र और कभी सप्ताह में दो। बिशू को जुकाम हो जाने पर एक सप्ताह में चार पत्र भी आये। आरंभ के पत्रों में हरीश के जिक्र का एक पैराग्राफ रहता था और दूसरे पैराग्राफ में भी उसकी थोड़ी–बहुत चर्चा। सोचा था, मेरी गैरहाजिरी में मेरी अनुदारता से मुक्ति पाकर लड़का तीव्र गति से मनुष्य बनने का अवसर पा जायेगा।

कुछ पत्रों के बाद हरीश की खबरों की सरगर्मी कम हो गयी। फिर शिकायतें मिलीं कि वह पढ़ने–लिखने की ओर मन न लगाकर गली में मैले–कुचैले लड़कों के साथ खेलता रहता है। बाद में खबर आयी कि वह कहना नहीं मानता है, स्वभाव का बहुत जिद्दी, बहुत डल (सुस्त दिमाग), हर समय कुछ खाता रहना चाहता है। इसी से उसका हाजमा ठीक नहीं रहता है।

लौटकर बैठा ही था कि श्रीमती जी ने शिकायत की, ''सचमुच तुम बड़े ही अजीब आदमी हो! हम फिक्र में मरते रहे और तुमसे खत तक नहीं लिखा जा सकता था! ऐसी भी क्या बेपरवाही! यहाँ यह मुसीबत कि लड़के को खाँसी हो गयी। तीन–तीन बार डॉक्टर को बुलाना पड़ता था। घर में सिर्फ दो ही तो नौकर हैं। वे घर का काम करें या डॉक्टर को बुलाने जायें! इस लड़के को देखो, हरीश की ओर संकेत करके कहा, जरा डॉक्टर को बुलाने भेजा तो सुबह से दुपहर तक गलियों में खेलता फिरा और डॉक्टर का घर इसे नहीं मिला। डॉक्टर जमील को भला शहर में कौन नहीं जानता?''

हरीश बिशू को गोद में लिये श्रीमती जी से सहमता हुआ मेरे समीप आना चाहता था। उस उम्र में भी आदमी इतना चालाक हो सकता है या हरीश को बिशू से इतना अधिक स्नेह हो गया था? या वह बिशू को उठाये था कि उसे संभाले रहने पर उसे खाली खेलते रहने के कारण डाँट न पड़ेगी।

हरीश को देख श्रीमती जी ने कहा, ''अरे उसे खेलने क्यों नहीं देता? तुझे कई दफे तो कहा कि गुसलखाने में गीले कपड़े पड़े हैं उन्हें ऊपर सूखने डाल आ।''

हरीश महफिल से यों निकाले जाने के कारण अपनी कातर आँखों से पीछे की ओर देखता चला गया। कुछ ही देर में वह फिर हाजिर हुआ। उसकी ओर देख श्रीमती जी ने कहा, ''हरीश, जाओ, पानी लेकर खस की टट्टियों को भिगो दो। सुनो, यों ही पानी मत फेंक देना। स्टूल पर खड़े होकर अच्छी तरह भिगो देना।''

मेरी ओर देख वे बोलीं, ''जिस काम के लिए कहूँ कतरा जाता है।''

''इसे पढ़ाने के लिए स्कूल के एक लड़के को चार रुपये देने के लिए तय किया था, वह इसे पढ़ाने नहीं आता?'' मैंने पूछा।

श्रीमती बिशू की कमीज का बटन लगाते हुए बोलीं, ''खामुखाह! यह पढ़ता ही नहीं, पढ़ चुका यह। बस खाने की हाय–हाय लगी रहती है। कोई चीज बचाकर रखना मुश्किल हो गया है।''

हरीश कमरे में तो न आया लेकिन दरवाजे से झाँककर भाग गया। वह संदेह भरी नजरों से कुछ ढूँढ रहा था। फल की टोकरी से कुछ लीचियाँ निकालकर श्रीमती जी ने बिशू के हाथ में रख दीं। उसी समय हरीश की ललचाई हुई आँखें बिशू के हाथों की ओर ताकती हुई दिखाई दीं।

श्रीमती जी खीझ गयीं, ''हरदम बच्चे के खाने की ओर आँखें उठाये रहता है। जाने कैसा भुक्कड़ है! इन लोगों को कितना ही खिलाओ, समझाओ, इनकी भूख बढ़ती जाती है। ले इधर आ। दो लीचियाँ उसके हाथ में देकर बोलीं, जा बाहर खेल.....क्या मुसीबत है।''

उसी शाम को एक और मुसीबत आ गयी। जो कपड़े हरीश ने सुबह सूखने डाले थे, वे हवा में उड़ गये थे। श्रीमती जी ने भन्नाकर कहा, ''तुम्हीं बताओ, मैं इसका क्या करूँ? वही बात हुई न कि कुत्ते का गू न लीपने का न पाथने का। अच्छी बला गले पड़ गयी। समझाने से समझता भी तो नहीं।.....इसकी सोहबत में बिशू ही क्या सीखेगा? कोई भला आदमी आये, सिर पर आकर सवार हो जाता है। स्कूल भिजवाया तो वहाँ पढ़ता नहीं। लड़कों से लड़ता है। अपने आगे किसी को कुछ समझता थोड़े ही है। तुमने उसे लाट साहब बना दिया है। कम–जात कहीं अपनी आदत से थोड़े ही जाता है।''

क्या उत्तर देता? बात टाल गया। संध्या समय श्रीमती जी ने बिशू को मेरी गोद में बिठा दिया था। शायद देखना चाहती थी कि बिशू मेरी गोद में कैसे जँचता है। हरीश भी दौड़कर आया और मुझसे सटकर खड़ा हो गया। पोज़ का यों बिगड़ जाना श्रीमती जी को न भाया।

श्रीमती जी चिढ़ गयीं, ''बंदर को मुँह लगाने से नोचेगा ही तो! इन लोगों के साथ जितनी भलाई करो, उतना ही सिर पर आते हैं।''

कह नहीं सकता हरीश कितना समझा और कितना नहीं, पर इतना वह जरूर समझा कि बात उसी के बारे में थी और उसके प्रति आदर की नहीं थी। इतना तो पालतू कुत्ता भी समझ जाता है। गले का स्वर ही यह प्रकट कर देता है। हरीश कतराकर चला गया और मुँडेर पर ठोढ़ी रख गली में झाँकने लगा।

सोच रहा था, अपनी बात भी कह सकूँ श्रीमती जी को विरोध भी न जान पड़े। कहा, ''जानवर को आदमी बनाना बहुत कठिन है। उसे पुचकार कर पास बुलाने में अच्छा लगता है। उसके प्रति दया का संतोष होता है परंतु जब जानवर स्वयं ही पंजे गोद में रख मुँह चाटने का यत्न करे तो खीझ आती है।''

श्रीमती जी चिढ़ गयीं, ''तो हमने क्या कहा....?''

उन्हें बात पूरी करने देता तो जाने कितना लंबा बयान और जिरह सुननी पड़ती, इसलिए टोककर बोला, ''ओहो, तुम्हारी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस झगड़े की – सरकार और मजूदरों के झगड़े की।''

क्रोध से लंबी फुफकार छोड़ उन्होंने जानना चाहा, मैं बहाना तो नहीं कर गया इसलिए पूछा, ''सो कैसे?''

उत्तर दिया, ''यही सरकार मजूदरों की भलाई के लिए कानून पास करती है और जब मजदूरों का हौंसला बढ़ जाता है, वे खुद ही अधिकार माँगने लगते हैं, तब सरकार को उनका आंदोलन दबाने की जरूरत महसूस होने लगती है।''

श्रीमती जी को विश्वास हो गया कि मैं उनका विरोध नहीं कर रहा था। बोलीं, ''तभी तो कहते हैं–कुत्ते की पूँछ बारह बरस नली में रखी पर सीधी नहीं हुई। उस रोज वह लाला साठ रुपये की धमकी दे रहा था। बनिया ही ठहरा! कहीं सूद भी गिनने लगे तो जाने रकम कहाँ तक पहुँचे? इस झगड़े में पड़ने से लाभ।''

श्रीमती जी का मतलब तो समझ गया परंतु समझ कर आगे उत्तर देना ही कठिन था, इसलिए उनकी तरफ विस्मय से देखकर पूछा, ''क्या मतलब तुम्हारा?''

''कुछ नहीं।'' श्रीमती जी झुँझला उठीं। उन्हें झल्लाहट थी मेरी कमसमझी पर और कुछ झेंप थी जानवर को मनुष्य बना देने के असफल अभियान पर।

मैं जानता हूँ, बात दब गयी, टली नहीं। कल फिर यह प्रश्न उठेगा परंतु किया क्या जाए? कुत्ते की पूँछ काट लेने पर फिर से जोड़ देना संभव नहीं होता। मनुष्यता का चसका किसी को लग जाने पर उसे जानवर बनाये रखना भी संभव नहीं।

ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन

बीरेन्द्र सिंह रावत*

आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान (एथेंस) में हुई। इन खेलों का आयोजन एवं नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। इस प्रतियोगिता के ध्वज में प्रतीक के रूप में पाँच चक्र एक–दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के पाँच महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही विश्वव्यापी खेल भावना के भी सूचक हैं। इन पाँच चक्रों का रंग नीला, पीला, काला, हरा एवं लाल होता है। प्रत्येक रंग एक महाद्वीप का प्रतीक होता है। इनमें नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, लाल चक्र अमेरिका, काला चक्र अफ्रीका और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 1916, 1940 और 1944 में विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक नहीं हुए।

दुनियाभर में खेलों के महाकुंभ '31वें ओलंपिक खेलों' की शुरुआत की घोषणा ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइकल टेमर ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख बान की मून की उपस्थिति में 05 अगस्त 2016 को ब्राजील के शहर रियो डि जिनेरियो के माराकाना स्टेडियम में की। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले के अस्वस्थ होने के कारण 2004 एथेंस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता वांडरलेई लिमा ने ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की। इसके बाद विश्व के पूर्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी और फ्रेंच ओपन विजेता गुस्तावो कुएर्टन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मशाल लेकर मुख्य स्थल पर आए। ब्राजील को फुटबॉल के जुनूनी देश के रूप में जाना जाता है लेकिन दक्षिण अमेरिका में पहली बार हो रहे इन खेलों के आयोजकों ने इस बार कुछ अलग करने की ठानी। उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण जलवायु परितर्वन (ग्लोबल वार्मिंग) को लेकर संक्षिप्त लेकिन दमदार संदेश रहा। उद्घाटन समारोह से जुड़े एक मुख्य अधिकारी ने कहा, 'इस ग्रह को नुकसान से पहुंचाने से रोकना पर्याप्त नहीं है, अब समय आ गया है कि हम इसे परेशानियों से मुक्त करें। ओलंपिक संदेश है – 'पृथ्वीवासियो, आओ पेड़ लगाएं, आओ इस ग्रह को बचाएं।'

परंपरा के अनुसार प्राचीन ओलंम्पिक के जनक यूनान का दल खिलाड़ियों की परेड़ में सबसे पहले आया। मेजबान ब्राजील की टीम सबसे आखिर में आई। सभी देशों ने पुर्तगाली में उनके नाम के अनुसार वर्णमाला क्रम में परेड़ में हिस्सा लिया। दुनिया के सबसे सफल ओलंपिक खिलाड़ियों में से एक माइकल फेलप्स ने अमेरिका के 500 सदस्यीय दल की अगुवाई की। भारतीय दल की अगुवाई 2008 बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने की। ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक का यह सबसे बड़ा दल था जिसमें 45 महिला खिलाड़ियों सहित कुल 118 खिलाड़ी शामिल थे।

पदक के प्रमुख दावेदारों में इस बार भारत के निम्न खिलाड़ी/टीमें थीं।

nhfidk dqekjh% दीपिका 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में दो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में तीरंदाजी का सितारा बनीं। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक से पहले तीरंदाजी की विश्व रैंकिंग में दीपिका पहले स्थान पर थीं परंतु ओलंपिक खेलों में पदक जीतने के दबाव में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं और पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गईं। वह तीरंदाजी विश्व कप में चार रजत पदक तथा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में दो रजत पदक में जीत चुकी हैं। अप्रैल 2016 में हुई तीरंदाजी विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी (686/720) करके दीपिका एक बार पुनः जुलाई 2016 विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर थीं।

Lkkbuk ugoky% विश्व बैडमिंटन में अनेकों खिताब जीत चुकी साइना ने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में महिला एकल स्पर्धा का कांस्य पदक तथा 2015 में जकार्ता में हुई विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक अपने

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

नाम किया। जून 2016 में हुई आस्ट्रेलियन सुपर सिरीज़ में साइना ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया तथा रियो ओलंपिक खेलों से पहले साइना विश्व रैंकिंग में पाँचवें नंबर पर थीं।

ih- oh- fl/k% वर्ष 2012 में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहले 20 में स्थान बनाने वाली सिंधू ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में लगातार दो बार (2013 में ग्वांगझू तथा 2014 में कोपेनहेगेन में) कांस्य पदक जीते। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली सिंधू पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं। अन्य अनेकों खिताब जीतने वाली सिंधू ने जनवरी 2016 में मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता। ओलंपिक से पहले सिधू विश्व रैंकिंग में दसवें नंबर पर थीं।

fodkl d".k ;kno% वर्ष 2010 में मुक्केबाजी में स्वर्णिम शुरुआत करने वाले विकास रियो ओलंपिक से पहले विश्व रैंकिंग में छठे स्थान पर थे। वर्ष 2010 में विकास ने तेहरान में हुई एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, बाकू में हुई एआईबीए युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप तथा ग्वांगझू में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। 2011 में बाकू में हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विकास ने कांस्य पदक जीता। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में विवादास्पद निर्णय के कारण वह प्रारंभिक दौर में ही बाहर हो गए। विकास ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक एवं 2015 में बैंकॉक में हुई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। विकास ने जून 2016 में बाकू में हुए ओलंपिक क्वालिफायर में कांस्य पदक जीतते हुए रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया।

fou'k QkxkV: विनेश ने मई 2016 में इस्तांबुल में हुए ओलंपिक क्वालिफायर में 2014 की विश्व चैंपियनशिप की रजत–पदक विजेता खिलाड़ी पोलैंड की इवोना को हराकर स्वर्ण पदक जीतते हुए रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। वह रियो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं। विनेश ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों (2014) में स्वर्ण पदक, इंचियोन एशियाई खेलों (2014) में कांस्य पदक तथा दोहा में हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में (2015) में रजत पदक जीते थे।

thrq jk;% भारतीय निशानेबाजी के एक चमकते सितारे जीतू राय के लिए वर्ष 2014 अकल्पनीय रहा था। इस वर्ष जीतू ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों एवं इंचियोन एशियाई खेलों में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक एवं 10 मीटर एअर पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक, ग्रेनाडा विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, मैरिबॉर विश्व कप में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण एवं 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक तथा म्यूनिख विश्व कप में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीते थे। हालांकि वर्ष 2015 उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहा और वह चैंग्वन विश्व कप में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में केवल कांस्य पदक ही हासिल कर पाए थे। जून 2016 में बाकू, अजरबाइजान में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में जीतू ने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता।

vfHkuo fcanzk% 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा में भारत को व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले बिंद्रा का प्रदर्शन 2014 से काफी अच्छा रहा था। 2014 में बिंद्रा ने इस स्पर्धा में ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक तथा इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। बिंद्रा ने मई 2016 में म्यूनिख में हुए आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में छठे स्थान पर रहते हुए रियो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया।

gkdh ¼i#"k½% भारतीय हॉकी टीम ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों (2014) में रजत पदक तथा इंचियोन एशियाई खेलों (2014) में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार हॉकी टीम को एशिया महाद्वीप की चैंपियन टीम होने के नाते रियो ओलंपिक में स्वतः प्रवेश मिल गया। हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी रखा तथा जून 2016 में लंदन में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस प्रतियोगिता में पहली बार रजत पदक प्राप्त किया।

Vfuy ¼feJr ;qxy½% मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना एवं सानिया मिर्जा की जोड़ी ओलंपिक पदक की प्रबल दावेदार थी। विश्व टेनिस स्पर्द्धाओं में कुछ एकल खिताब तथा युगल मुकाबलों में दर्जनों खिताब जीत चुकीं सानिया मिर्जा का प्रदर्शन युगल मुकाबलों में 2015 से और भी शानदार रहा है। सानिया ने स्विटजरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर 2015 में अनेकों

खिताबों के अलावा विंबलडन एवं यूएस ओपन तथा 2016 में आस्ट्रेलियन ओपन में महिला युगल खिताब जीते। सानिया और क्रोएशिया के इवान डोजिग की जोड़ी 2016 में फ्रेंच ओपन के मिश्रित युगल में उपविजेता रही तथा सानिया कई हफ्तों से विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर थी। इसी तरह रोहन बोपन्ना भी विश्व टेनिस स्पर्धाओं में युगल मुकाबलों में दर्जनों खिताब जीत चुके हैं और जनवरी 2015 से उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहा है। इस दौरान विभिन्न जोड़ीदारों के साथ मिलकर रोहन ने चार टूर्नामेंट जीते और पाँच टूर्नामेंटों में वह उप–विजेता रहे। 2016 के फ्रेंच ओपन में रोहन पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे जिसके परिणामस्वरूप वह युगल में विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे और इस प्रकार उन्होंने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया।

;kx'oj nÙk: 2012 के लंदन ओलम्पिक खेलों के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर ने मई 2016 में अस्ताना (कजाखस्तान) में हुए एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में स्वर्ण पदक जीतकर रियो ओलम्पिक खेलों में पदक जीतने की संभावनाओं को बढ़ाया। इससे पहले योगेश्वर ने 2006 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक तथा 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे।

Ukjflag ;kno% वर्ष 2010 में नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक तथा 2011 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नरसिंह हालांकि 2012 के लंदन ओलंपिक में पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गये थे, परंतु 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों तथा 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में वह कांस्य पदक जीतने में सफल रहे थे। 2015 में लास बेगास में हुई विश्व चैंपियनशिप में नरसिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता और रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया।

उपरोक्त खिलाड़ियों के अलावा, तीरंदाजी में अतानु दास, मुक्केबाजी में शिवा थापा, निशानेबाजी में गगन नारंग, बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, जिमनास्टिक्स में दीपा कर्माकर, नौकायन में दत्तू भोकानल, कुश्ती में साक्षी मलिक से शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने की उम्मीद भारतीय खेल प्रेमियों को थी।

हमेशा की तरह इस बार के ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। भारत ने 1896, 1904, 1908 एवं 1912 के ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया। पेरिस में हुए 1900 के ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से एक ब्रिटिश नागरिक नॉर्मन प्रिचार्ड ने प्रतिभागिता की और दो रजत पदक पाने में सफलता पाई। 1920 और 1924 के ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को कोई सफलता नहीं मिली। 1928 के एम्सटर्डम ओलंपिक खेलों से भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई जब भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लेते हुए स्वर्ण पदक जीता। हॉकी टीम द्वारा स्वर्ण पदक जीतने का यह सिलसिला 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक खेलों तक जारी रहा और इस प्रकार लगातार छह स्वर्ण पदक जीते। उसके बाद के ओलंपिक खेलों में हॉकी टीम ने 1960 में रजत पदक, 1964 एवं 1980 में स्वर्ण पदक, तथा 1968 एवं 1972 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इस प्रकार भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में 08 स्वर्ण पदक, एक रजत पदक एवं 02 कांस्य पदक जीते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अभी तक भारत कुल 15 पदक जीत पाया है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं:

1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में के. डी. जाधव ने कुश्ती में रजत पदक, 1996 में अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक, 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक तथा 2004 में एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक, सुशील कुमार ने कुश्ती और बिजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीते थे। 2012 में लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने कुश्ती और विजय कुमार ने निशानेबाजी में रजत पदक तथा गगन नारंग ने निशानेबाजी, मैरी कॉम ने मुक्केबाजी, साइला नेहवाल में बैडमिंटन और योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में कांस्य पदक जीते थे।

2016 के रियो ओलंपिक में केवल दो भारतीय खिलाड़ी, बैडमिंटन में पी. वी. सिंधू (रजत पदक) तथा कुश्ती में साक्षी मलिक (कांस्य पदक) पदक जीतने में सफल रहीं। मंजिल के पास पहुंचने पर भी इसे हासिल न कर पा सकने वाले अन्य खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं: दीपा कर्माकर (जिमनास्टिक्स), अभिनव बिंद्रा (निशानेबाजी), रोहन बोपन्ना एवं सानिया मिर्जा (मिश्रित युगल – टेनिस) तथा ललिता बाबर (3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ –स्टीपलचेज)। उपरोक्त खिलाड़ियों का प्रदर्शन निम्न प्रकार रहा।

ih- oh- fl/k ¼jtr ind½ ग्रुप चरण के दोनों मैच तथा प्री–क्वार्टर फाइनल का मैच आसानी से जीतने वाली सिंधू का सामना क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की वेंग यीहान तथा सेमीफाइनल में जापान की छठी वरीयता प्राप्त नजोमी ओकुहारा से हुआ। सिंधू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये दोनों मैच सीधे सेटों में जीतते हुए फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में भी सिधू ने शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन की कैरोलीना मारिन के खिलाफ शानदार शुरुआत करते हुए पहला सेट 21–19 से अपने नाम किया। परंतु वह अपना शानदार प्रदर्शन जारी नहीं रख सकी और मारिन ने 19–21, 21–12, 21–15 से मैच अपने नाम किया। महिला एकल में यह पहली बार हुआ कि स्पेन की किसी महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता, भारत की किसी महिला खिलाड़ी ने पहली बार रजत पदक जीता तथा 1996 के बाद यह पहली बार हुआ कि कोई भी चीनी खिलाड़ी पदक नहीं जीत पायी। सिंधू ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी भी बनी।

lk{kh efyd ¼dkL; ind½ पहले दो दौर के मैच आसानी से जीतने वाली साक्षी मलिक क्वार्टर फाइनल में रूस की वलेरिया कोबलोवा (अंततः फाइनल में पहुंचने वाली) से हार गयीं। रेपचेज के पहले मुकाबले में साक्षी ने आसान जीत दर्ज की। दूसरे एवं अंतिम मुकाबले में साक्षी मैच समाप्ति से 30 सेकंड पहले तक किर्गिस्तान की मौजूदा एशियाई चैंपियन ऐसुलु टिनिबेकोवा से 0–5 से पिछड़ रही थीं। साक्षी ने खुद को अपनी प्रतिद्वंद्वी की गिरफ्त से छुड़ाकर पहले 7–5 की बढ़त हासिल की और अंतिम क्षणों में अपनी प्रतिद्वंद्वी को एक और पटका मारकर 8–5 से मैच जीता और इस प्रकार साक्षी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं। (कुछ खेलों में रेपचेज का प्रावधान किया गया है। इसके तहत फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों से हारने वाले सभी खिलाड़ियों को पदक जीतने का एक और मौका देने हेतु उनके दो ग्रुप बनाये जाते हैं। एक खिलाड़ी से हारने वाले सभी चार खिलाड़ियों का एक ग्रुप, तथा दूसरे खिलाड़ी से हारने वाले सभी चार खिलाड़ियों का एक ग्रुप। अब फाइनल में पहुंचने वाले खिलाडी से पहले दो दौर में हारने वाले खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होता है। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में हारने वाले खिलाड़ी से होता है। यह मुकाबला जीतने वाले खिलाड़ी का मुकाबला सेमीफाइनल में हारने वाले खिलाड़ी से होता है और यह कांस्य पदक मुकाबला कहलाता है। इस प्रकार रेपचेज में दो कांस्य पदक दिये जाते हैं)।

nhik dekdj ¼fteukfLVDl½ जिमनास्टिक्स की वॉल्ट स्पर्धा के प्रारंभिक चरणों में शानदार प्रदर्शन करते हुए दीपा कर्माकर ने आठ खिलाड़ियों वाले फाइनल के लिये अंतिम खिलाड़ी के तौर पर क्वालिफाई किया। दो चक्रों वाले फाइनल में दीपा ने और भी अधिक शानदार प्रदर्शन किया। दीपा ने सामान्य वॉल्ट में 14.866 अंक और जिमनास्टिक्स की दुनिया में सबसे खतरनाक समझे जाने वाले प्रोडुनोवा वॉल्ट में 15.266 अंक हासिल करते हुए कुल 15.066 अंक हासिल किये और वह स्विटजरलैंड की गिलिया (15.216) से मात्र 0.150 अंकों से पिछड़कर कांस्य पदक पाने से चूक गयी।

vfHkuo fcnzk ¼fu'kkusckth½ अभिनव बिंद्रा ने प्रारंभिक चरण में 625.7 अंक हासिल करते हुए सातवें खिलाड़ी के तौर पर निशानीबाजी की 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 16 चक्रों वाले फाइनल में बिंद्रा 12वें चक्र के बाद तीसरे स्थान पर चल रहे थे, परंतु 13वें चक्र में वह 9.7 अंक ही हासिल कर सके। अंततः 16 चक्रों के बाद उनके और यूक्रेन के सेरिय कुलिस के बराबर अंक (163.8) थे और उनके बीच शूटऑफ हुआ जिसमें बिंद्रा 10 अंक ही हासिल कर सके जबकि कुलिस ने 10.5 अंक हासिल किये और इस प्रकार बिंद्रा पदक पाने से चूक गये।

jksgu cksiUuk ,oa lkfu;k fetkZ ¼fefJr ;qxy&Vsful½ पहले दौर में सामंथा स्टोसुर एवं

जे. पियर्स (आस्ट्रेलिया) की जोड़ी को 7–5, 6–4 से हराने वाली भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में एंडी मरे एवं एच. वाटसन (ग्रेट ब्रिटेन) की जोडी को और भी आसानी (6–4, 6–4) से हराते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला एंडी राम एवं वीनस विलयिम्स (अमेरिका) की जोडी से हुआ जिसे कड़े संघर्ष के बाद अमेरिकी जोड़ी ने 2–6, 6–2, 10–8 से अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में भारतीय जोड़ी का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली एल. राडेका एवं आर. स्टेपनेक (चेक रिपब्लिक) की जोडी से हुआ और इसमें भी हारकर भारतीय जोड़ी को चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ा।

yfyrk ckcj ¼3000 ehVj ych ck/kk nkSM& LVhiypst½ 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक एवं 2015 की एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली ललिता बाबर ने दूसरी हीट में दौड़ते हुए 9 मिनट 19.76 सेकंड में दौड़ पूरी की और अपनी हीट में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल मे वह अपना यह प्रदर्शन दोहराने में असफल रहीं एवं 9 मिनट 22.74 सेकंड के साथ वह दसवें स्थान पर रहीं। 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों के बाद यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने एथलेटिक्स की किसी स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया। तब एशियाई एवं राष्ट्रमंडल खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अनेकों खिताब जीतने वाली एवं उड़नपरी के नाम से विख्यात पी. टी. उषा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था तथा फाइनल में सेकेंड के सौंवे भाग से वह कांस्य पदक पाने से चूक गयी थीं।

हालांकि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में ओलंपिक पदक लक्ष्य योजना (टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम – टॉप्स) की शुरुआत की थी और इस योजना में अगले दो महीनों में 75 संभावित पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें ओलंपिक की तैयारी के लिए वित्त सहित, आवश्यक सहायता प्रदान की गई थी परंतु समय की कमी के कारण यह योजना अपेक्षित परिणाम देने में नाकामयाब रही। आशा है कि इस योजना का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक भारतीय खिलाड़ी वर्ष 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदक पाने में अवश्यमेव कामयाब होंगे।

‘ओ मेरी प्यारी बहन‘

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम*

ओ मेरी प्यारी बहन! ओ मेरी प्यारी बहन!
तुमसे ही मेरी शक्ति है, तुमसे ही मेरी स्फूर्ति है

तुमने बलिदान किया मेरे लिए अपनी प्यारी वस्तुओं का
तुमने बलिदान किया मेरे लिए अपनी युवा अवस्था का
छोड़ा भोजन, छोड़ी नींदें, मेरे सुख–चैन के लिए
ओ मेरी प्यारी बहन
तुमसे ही मेरी शक्ति है, तुमसे ही मेरी स्फूर्ति है

तुमने मुझे राह दिखायी, नित नई दिशा बतायी
जो भी हूँ, जैसा भी हूँ,
बस तुम्हारे साथ से और तुम्हारे विश्वास से
''निंगोल चकोबा'' पावन पर्व है
तुम्हारे सम्मान के लिए
तुम पाओ सम्मान, हर स्थान पर हो तुम्हारा मान
ओ मेरी प्यारी बहन
तुमसे ही मेरी शक्ति है, तुमसे ही मेरी स्फूर्ति है

मैं भाई रहूँ तुम्हारा हर जन्म में
ऐसी करता हूँ ईश्वर से दुआ
हमेशा खुश रहो तुम अपनी जिंदगी में
कभी कोई परेशानी न आये
इस खुशियों भरी जमीं में
ओ मेरी प्यारी बहन
तुमसे ही मेरी शक्ति है, तुमसे ही मेरी स्फूर्ति है

** एसोसिएट फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

संस्थान का 42वाँ स्थापना दिवस समारोह

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का 42वाँ स्थापना दिवस 01 जुलाई 2016 को बड़े धूम–धाम से मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन संस्थान के महानिदेशक श्री मनीष कुमार गुप्ता ने किया। इसमें स्पून–लेमन रेस (महिला एवं पुरुष), म्यूजिकल चेयर (महिला एवं पुरुष) तथा 50 मीटर की दौड़ (महिला) जैसे विभिन्न मनोरंजक खेलों के साथ–साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महानिदेशक सहित संस्थान के सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी–अपनी प्रस्तुतियों द्वारा समारोह में गजब का समाँ बाँधा। मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक सामग्री से परिपूर्ण इन कार्यक्रमों में सबसे अधिक रोचक एक लघु नाटिका ''ये कैसा समाज'' का मंचन रहा जिसके चार छोटे–छोटे भागों में बाल श्रम, पितृसत्तात्मक व्यवस्था (बेटा–बेटी में भेद), मजूदरों का शोषण तथा भोजन की बर्बादी जैसे विषयों को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाने के साथ ही बाल श्रम, पितृसत्तात्मक व्यवस्था एवं मजूदरों के शोषण को समाप्त करने और भोजन को बर्बाद न करने का संदेश दिया गया था। इस समारोह का समन्वय श्री अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो; डॉ. एलीना सामंतराय, एसोसिएट फेलो; श्री एस. के. वर्मा सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी तथा डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो (संयोजक) ने किया।

ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

राजेश कुमार कर्ण*

मानव को गतिशील रखने तथा जीवन–स्तर में सुधार लाने के लिए ऊर्जा का होना अनिवार्य है। वर्तमान समय में ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग के आधार पर ही किसी राष्ट्र की महत्ता एवं विकास का आकलन किया जाता है। आज विश्व की अधिकाधिक ऊर्जा जरूरतें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा जैसी पारंपरिक स्रोतों से पूरी होती हैं। औद्योगिक क्रांति के पूर्व लकड़ी जलाकर अधिकांश ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति होती थी, औद्योगिकीकरण के शुरूआत में केवल कोयले का प्रयोग किया जाता था। लेकिन 19वीं सदी से पेट्रोलियम एवं गैस का प्रयोग होने लगा तथा 20वीं सदी से नाभिकीय ऊर्जा का भी प्रयोग होने लगा। तब से लगातार विकास के इंजन को जारी रखने के लिए उपरोक्त परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। इसके बावजूद भी विश्व के 18 प्रतिशत एवं भारत के 25 प्रतिशत लोगों के पास आज भी बिजली उपलब्ध नहीं है। चाहे भारत की राजधानी नई दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई, साइबर सिटी गुड़गांव या सिलिकन वैली बंगलौर हो, सभी जगहों पर बिजली की समस्या है। शहरों में बिजली का निर्बाध इंतजाम करने के लिए लोग इनवर्टर या जेनरेटर पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण इलाकों की हालत तो और भी बदतर है। अभी बहुत से गांवों तक बिजली ही नहीं पहुंची है।

ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अनवरत दोहन से होने वाले हानिकारक कार्बनिक रासायनिक गैसों के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषित हो रही है, वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है एवं इससे धरती का पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है जिससे धरती के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने के लिए पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में दुनिया के 195 देशों ने 12 दिसंबर 2015 को जलवायु करार पर ऐतिहासिक समझौते को अपनी मंजूरी दे दी जिसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रस्ताव है। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए मोरक्को के मराकेश शहर में 7 से 16 नवंबर, 2016 तक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबद्ध कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 22वीं सभा आयोजित हुई। इस सभा के अंत में जारी उद्घोषणा में इसकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि पेरिस समझौता एक समावेशी, समतामूलक और सामूहिक कार्यक्रम है, जिसमें अलग–अलग देशों की परिस्थितियों के अनुसार उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट जिम्मेवारियां तय की गयी हैं और सभी देश इसे संपूर्णता में लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं। इस उद्घोषणा में तमाम पक्षों को आह्वान करते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ के 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सहयोग और प्रतिबद्धता की अपील की गई है।

आज के इस औद्योगिक युग में पर्याप्त ऊर्जा के बिना उद्योग, परिवहन, संचार, कृषि आदि क्षेत्रों में विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और अगर ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अंधाधुंध दोहन होता रहा तो अगले चार–पांच दशकों बाद इन संसाधनों का अभाव हो जाएगा और धरती पर ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस संकट से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ही बचा सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के मायने यह है कि वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति इस तरीके से हो कि सभी लोग ऊर्जा से लाभान्वित हो सकें और पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव भी न पड़े। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा 2 अक्तूबर, 2016 को कर दी है जिसमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन एवं उपयोग पर बल दिया गया है एवं वर्ष 2030 तक वैकल्पिक ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।

सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस आदि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में प्रमुख हैं। भविष्य में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने और अपने विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस,

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

जापान आदि विकसित राष्ट्रों के साथ–साथ भारत जैसा विकासशील देश भी वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। यह ऊर्जा असीमित, नवीकरणीय, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तथा पर्यावरण के अनुकूल भी है। ऊर्जा खपत के क्षेत्र में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, जहां कुल ऊर्जा उत्पादन का 9 प्रतिशत भाग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। सूर्य, वायु, समुद्र और भूमि ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं। शताब्दियों से भारतीय परंपरा में इनकी पूजा की जाती है। देर से ही सही, किंतु हम आज इन्हीं तत्वों की ओर वापस लौट रहे हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के मामले में प्रकृति ने हमारे देश को काफी समृद्ध बनाया है। इस कारण यहां इन स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इस प्रकार हमारे पास सीमाहीन और स्वच्छ ऊर्जा के वचन को वास्तविकता में रूपांतरित करने के सच्चे अवसर हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है:

lkj Åtk% सूर्य ऊर्जा का अक्षय एवं अनंत भण्डार है। यदि ठीक से इसकी ऊर्जा का उपयोग करने की तकनीक विकसित हो जाए तो हमारी ऊर्जा समस्या का पुख्ता हल निकल सकता है। भारत पर्याप्त धूप वाला देश है जहां वर्ष में 250–300 दिनों तक धूप खिली रहती है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विश्व में 102 देश ऐसे है जो सूर्य पुत्र हैं, यानी जहां सौर ऊर्जा का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। भारत सूर्य शक्ति राष्ट्र बन सकता है। प्रधानमंत्री जी का यह विचार काफी मायने रखता है कि तेल निर्यातक संगठन ओपेक की तर्ज पर भारत के नेतृत्व में सौर ऊर्जा की संभावनाओं वाले देशों का संगठन बनाया जाए। भारत में आज सौर ऊर्जा का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। सूर्य की रोशनी से छतों पर लगे सौर पैनलों के द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए पानी गर्म किया जाता है। साथ ही सूर्य की रोशनी को फोटोवोल्टेक सेलों के प्रयोग से बिजली में भी परिवर्तित किया जाता है एवं इसका उपयोग रोशनी, पंपिंग, संचार तथा गैर विद्युतीकृत क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति हेतु किया जाता है।

सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की दिशा में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के प्रयास सराहनीय हैं। गुजरात ने मेहसाणा जिले में स्थित नहर के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर अनूठी मिसाल पेश की है। इससे बिजली तो बन ही रही है, पानी का वाष्पीकरण रुकने से पानी की भी बचत हो रही है तथा भूमि भी अधिग्रहित होने से बच गयी है। अन्य राज्यों को भी गुजरात के इस मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए। सौर ऊर्जा प्रणाली को अनिवार्य बनाने के लिए इमारत उपनियमों में संशोधन किया गया है एवं प्रावधान किया गया है कि ऐसी इमारतें और हाउसिंग परिसर बनाए जाएं जहां पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो।

iou Åtk% पवन की शक्ति को पवन चक्कियों के माध्यम से परिवर्तित कर पवन ऊर्जा निर्मित की जाती है। केन्द्र सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में पवन ऊर्जा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का फैसला किया है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों में 100 से अधिक मेगावाट क्षमता के कई पवन ऊर्जा जनरेटर काम कर रहे हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, चीन के बाद भारत का पांचवां स्थान है। पवन ऊर्जा का उपयोग पानी की पंपिंग, बैटरी की चार्जिंग और बड़े विद्युत उत्पादन में किया जाता है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने में पवन ऊर्जा को सबसे कारगर उपाय माना जाता है।

ty Åtk% आज विश्वभर में नदियों एवं बांधों पर बनाए गए पनबिजली तथा समुद्र में उठने वाले ज्वार–भाटों से निर्मित ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे सस्ता एवं अच्छा स्रोत माना जाता है। बांध का निर्माण करके नदियों के जल प्रवाह को रोककर और उसे तेज धारा के साथ ऊंचाई से गिराकर पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में लघु पनबिजली परियोजनाओं के माध्यम से आज लगभग 5000 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। भाखड़ा–नांगल, दामोदर घाटी, चम्बल घाटी, हीराकुंड जैसी परियोजनाओं की सफलता को नकारा नहीं जा सकता। लघु पनबिजली परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं, इसलिए निजी क्षेत्र ने भी यहां निवेश आरंभ कर दिया है।

ck;kxSl% मानव एवं पशुओं के मल, रसोई के अपशिष्ट, खरपतवार, कूड़े–कचरे आदि सड़नेवाली किसी भी जैव पदार्थ को गैस में बदलकर इसका उपयोग बिजली पैदा करने तथा अन्य कई कार्यों में किया जाता है। बायोमास से बायोगैस एवं बायोडीजल आज वैश्विक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन करने के प्रमुख साधन बन गए हैं। आज विश्व के कई देशों में बायोगैस के द्वारा रसोई गैस तथा विद्युत के साथ–साथ कृषि हेतु खाद का उत्पादन भी किया जाता

है। भारत में 12 मिलियन पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की अनुमानित संभाव्यता है। सरकार द्वारा सब्सिडी देकर बायोगैस के उपयोग को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्तमान में भारत बायोगैस उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में मल, गोबर तथा जलकुंभी आदि से चलने वाले कई बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। आज पटना सहित देश के कई शहरों की सड़कों पर सुलभ शौचालय के माध्यम से एकत्रित मल से निर्मित सुलभ ऊर्जा द्वारा संचालित प्रकाश व्यवस्था देखी जा सकती है। बिहार में चावल की भूसी से तो तमिलनाडु में मुर्गियों के अपशिष्ट का उपयोग करते हुए बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाना, ऊर्जा के अपव्यय पर अंकुश लगाना, तकनीकी खामी दूरकर ऊर्जा हानि को कम करना, भ्रष्टाचार को दूरकर राजस्व हानि को दूर करना एवं ऊर्जा संरक्षण के उपाय करना ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो बिजली की बचत हेतु विभिन्न योजनाएं, जागरूकता अभियान के साथ आगे आया है। भारत एक विशाल आबादी वाला विकासशील देश है जिसकी स्वयं की विकास की अनिवार्यताएं हैं इसलिए परंपरागत ऊर्जा के उपयोग को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के पारंपरिक और वैकल्पिक स्रोतों, त्वरित सामाजिक–आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन कायम करना जरूरी है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग का अर्थ है: ऊर्जा का सतत विकास और ऊर्जा के सतत विकास का प्रतिफल है– मनुष्य का सर्वांगीण विकास। 21वीं सदी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की सदी है। बढ़ती आबादी, उन्नत जीवन स्तर एवं विकास की ललक से उत्पन्न ऊर्जा की बढ़ती मांग एवं आपूर्ति के अंतर को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पाट सकते हैं। इससे पारंपरिक ऊर्जा का संरक्षण होगा एवं पर्यावरण पर दवाब भी कम होगा। अर्थात ऊर्जा के भविष्य को सुनिश्चित एवं सुरक्षित करने का एकमात्र उपाय वैकल्पिक ऊर्जा ही है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ऊर्जा सम्मेलन 2016 कार्यक्रम में ठीक ही कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के बगैर सामाजिक सुरक्षा अधूरी है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक 175 गीगाबाइट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है एवं इनके विकास पर अभूतपूर्व एवं विशेष बल दिया है और पिछले कुछ वर्षों में इन स्रोतों से लाभ उठाकर बिजली संकट को दूर करने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है।

'बंटवारे का दर्द'

सतीश कुमार*

सुनले, सुनले, हाँ सुनले पंजाब के दुःख–दर्द भरे नारे।
खून की एक होली मची थी, रावी के किनारे। सुनले, सुनले...

लाखों देवियाँ बेइज्जत हुईं, बेसहारा हो गयीं
अर गलियों में रोते फिरे बच्चे प्यारे–प्यारे
उन्होंने ठाना हिंदुस्तान–पाकिस्तान बन के ही रहेगा
चाहे हालात में बन जाएं कब्रिस्तान सारे। सुनले, सुनले...

चारों तरफ से सुनाई दे रही चीख और हाहाकार
दाने–दाने को मोहताज हुए अभागे बेचारे
मारो, काटो, हो रही थी सर्वत्र भारत के सीने में
इंसान के पीछे भागते, ये वक्त के मारे। सुनले, सुनले...

रावी का पानी हुआ था खून से लाल लाल,
दूर–दूर तक न मिले किसी को कोई किनारे,
हिंद के वासियो तुम ध्यान से सुनो ये पुकार
फिर ऐसा मंजर न देखें अगले वंश हमारे। सुनले, सुनले...

* *एमटीएस, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

'क्यों?'

ज्योति गुप्ता*

यह बात बहुत पुरानी है, पर हमको याद जुबानी है।
घर छोटा सा पर कच्चा था, घर में माँ थी एक बच्चा था।।
बिन पिता के घर भी सूना था, और माँ पर मेहनत दूना था।
वह बच्चा बड़ा हुआ ज्यों ज्यों, हर बात पर पूछा करता क्यों?
है बाप नहीं मेरा पर क्यों, दिन–रात अंधेरे में घर क्यों।
बहुतेरा माँ समझाती थी, हर बात पर उसे फुसलाती थी।।
पर बच्चा हठी बच्चा था और धुन का अपनी सच्चा था।
रूखा–सूखा मिल जाता था – खा कर वो खुशी मनाता था।।
पर आदत बनी रही ज्यों–त्यों, हर बात पर पूछा करता क्यों?
माँ ने कुछ काम संभाला था, रो–धो कर उसको पाला था।
फिर वो भी उसको छोड़ गयी, दुनिया से नाता तोड़ गयी।।
बच्चे का अब घर–बार नहीं, माँ की ममता का प्यार नहीं।
बच्चे की बात पुरानी थी, कुछ बचपन था नादानी थी।।
पर आदत बनी रही ज्यों–त्यों, हर बात पर पूछा करता क्यों?
बच्चा थक कर बेहाल हुआ, भूखा बेचैन निढ़ाल हुआ।
आराम से कोई सोता क्यों, कोई भूख नंगा रोता क्यों?
कहानी यह अभी अधूरी है, इसका नाम ही तो मजबूरी है।।
कुछ लोग यह अब भी कहते हैं, जो दूर कहीं पर रहते हैं।
उनको था दिया सुनाई यों, एक बच्चा पूछ रहा था क्यों?

* *रिसर्च एसोसिएट, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

साईं आराधना

सतीश कुमार*

हरि ॐ हरि ॐ हरि ॐ 2
सच्चे मन से रे बोलो शिर्डी के साईं नाथ
अपना रूप दिखा दे शिर्डी के साईं नाथ।

काशी भी देखी, मथुरा भी देखी
शिर्डी ना देखी तो क्या तुमने देखा
सामने देखो तो पत्थर पड़ा है
लेकिन उसमें मेरा साईं खड़ा है
बोलो, बोलो शिर्डी के साईं नाथ
अपना रूप दिखा दे शिर्डी के साईं नाथ।

तुमने हमको जीना सिखाया
कौन है अपना कौन पराया
हम सब की तू बिगड़ी बना दे
एक बार तू दर्शन दिखा दे
बोलो, बोलो शिर्डी के साईं नाथ
अपना रूप दिखा दे शिर्डी के साईं नाथ।

सारे जहाँ में नाम तुम्हारा
शिर्डी में स्थान तुम्हारा
श्रद्धा सबूरी तुझमें समाये
भक्त तुम्हारे दर्शन को आए
बोलो, बोलो शिर्डी के साईं नाथ
अपना रूप दिखा दे शिर्डी के साईं नाथ।

हिंदू भी देखें, मुस्लिम भी देखें
सिख भी देखें, ईसाई भी देखें
सबका मालिक एक ही साईं
आपस में सब भाई–भाई
बोलो, बोलो शिर्डी के साईं नाथ
अपना रूप दिखा दे शिर्डी के साईं नाथ।

* *एमटीएस, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

भाग्य और समय

एक सेठ जी थे, जिनके पास काफी दौलत थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति जुआरी, शराबी निकल गया। जिससे सब धन समाप्त हो गया। बेटी की यह हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहतीं कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बेटी परेशानी में होते हुए आप उसकी मदद क्यों नहीं करते हो ? सेठ जी कहते कि ''जब उनका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जायेंगे.....'' एक दिन सेठ जी घर से बाहर गये थे कि तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर–सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उसके मन में आया कि क्यों न मोतीचूर के लड्डुओं में अशर्फियां रख दी जायें ....। यह सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में अशर्फियां दबा कर रख दीं और दामाद को टीका लगा कर विदा करते समय पांच किलो शुद्व देशी घी के लड्डू दिए। दामाद लड्डू लेकर घर से चला, दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाये, क्यों न लड्डू यहीं मिठाई की दुकान पर बेच दिए जायें। दामाद ने वह लड्डुओं का पैकेट मिठाई की दुकान पर बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आये तो उन्होंने सोचा घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं और सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे... मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापिस बेच दिया।

सेठ जी लड्डू लेकर घर आये... सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा तो लड्डू फोड़कर देखे, अशर्फियां देख कर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ जी को दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में अशर्फियां छिपाने की बात कह डाली... सेठ जी बोले कि भाग्यवान मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा है... देखा अशर्फियां न तो दामाद के भाग्य में थीं और न ही मिठाई वाले के भाग्य में... इसीलिए कहते हैं *कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और न ही मिलेगा*। इसलिए ईश्वर जितना दे उसी में संतोष करो।

* *संकलन : मोनिका गुप्ता, स्टेनो ग्रेड – I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

भारतीय
श्रम पुस्तिका

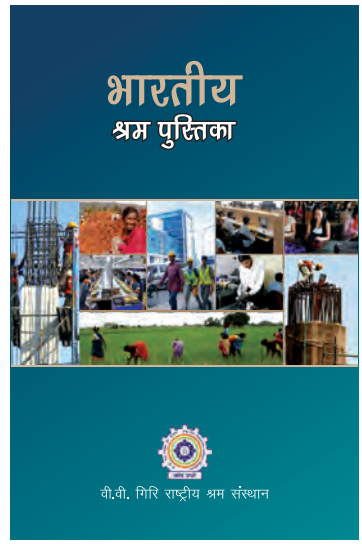

भारत विकास प्रक्रिया के एक बहुत महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। विगत कुछ वर्षों से हमारा देश विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। यह अत्यावश्यक है कि आर्थिक विकास के इन लाभों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता, सभी के लिए गुणवत्ता वाला रोज़गार और श्रम मुद्दों का हल सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह पहलू जनता की आजीविका से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ है। श्रम के संबंध में देश अनेक और विविध प्रश्नों का सामना कर रहा है, जिनका विस्तार रोज़गार और अल्प–रोज़गार के बारे में सरोकारों से लेकर बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा तक है। भारतीय श्रम मुद्दों की व्यापकता और विस्तार पर विचार करते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि इन मुद्दों का हल खोजने की प्रक्रिया में, बड़ी संख्या में सामाजिक साझेदारों तथा हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल किया जाए। हितधारकों की रचनात्मक सहभागिता तभी संभव है, जब कि श्रम से संबंधित सूचना और विचारों को सुलभ बनाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें भारत में श्रम के परिदृश्य के प्रमुख आयामों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं को समेकित करने का प्रयास किया गया है। इसका आशय यह है कि सुसंगत सूचनाएं एक सरल और बोधगम्य तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, जिससे इन्हें समाज के व्यापक तबके तक पहुंचयोग्य बनाया जा सके। इस पुस्तिका का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ, साफ–सुथरा एवं गरिमामय बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती।

आईये, जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनाने हेतु मिलकर काम करें।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
नौएडा

MAKE IN INDIA

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित हैः

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.org